

अध्याय-IV

अवैध खनन

सारांश

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली यह निर्धारित नहीं करता है कि नीलामी के माध्यम से दिए गए खनन पट्टा क्षेत्रों के मामले में खनिज मूल्य और रायल्टी क्या होगी। विभाग ने बोली दर को अनदेखा कर पट्टा क्षेत्र/ या स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों से अवैध रूप से खनिजों का उत्खनन करने वाले पट्टाधारकों से जनवरी 2016 से संशोधित नहीं की गयी आधार दर पर रायल्टी और खनिज मूल्य आरोपित किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को संभावित राजस्व से वंचित होना पड़ा। अवैध खनन के कारण पर्यावरण मंजूरी और बालू खनन दिशानिर्देशों के नियमों और शर्तों का उल्लंघन हुआ।

ई-ट्रान्जिट पास की निगरानी के लिए साफ्टवेयर में इनपुट नियन्त्रण तन्त्र की कमी थी। पट्टाधारकों ने खनिजों के परिवहन के लिये अनुपयुक्त वाहनों, अयोग्य/नकली पंजीकरण संख्या वाले वाहनों और निषिद्ध महीनों में ई-एमएम-11 प्रपत्र जारी किए। ई-एमएम-11 प्रपत्र में उल्लिखित दूरी वास्तविक दूरी से बहुत अधिक थी, जो एक ही बार रायल्टी के भुगतान द्वारा एक ही ई-एमएम-11 प्रपत्र पर कई बार परिवहन किए जाने का जोखिम इंगित करता है।

गूगल अर्थ से पट्टों के चयनित स्थलों की जाँच से ऐसे मामले सामने आये जहाँ पट्टा क्षेत्र के बाहर और खनन पट्टा दिये बिना खनिजों का उत्खनन किया गया। पट्टाधारकों ने बालू खनन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और उत्खनकों की मदद से बालू का उत्खनन किया।

लेखापरीक्षा में गूगल अर्थ से प्राप्त उपग्रह चित्रों का उपयोग किया गया और पाया गया कि ईट भट्टों की स्थापना के लिए अन्य ईट भट्टों, आवासीय क्षेत्र, स्कूल/कालेज, अस्पताल, बाग, इको सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) और ऐतिहासिक स्मारकों से निर्धारित दूरी जैसे मानदण्डों का ईट भट्टा मालिकों द्वारा पालन नहीं किया गया।

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अवैध खनन की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अपने राज्यों के भीतर उपखनिजों के लिए खनन निगरानी प्रणाली लागू करने की सलाह दी थी। यद्यपि राज्य सरकार ने एमएसएस लागू किया, इस प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए किया जा सकता है। राज्य सरकार ने तकनीकी हस्तक्षेप पर किये गये व्यय के लिए खनन पट्टाधारकों पर कोई उपकर नहीं लगाया।

4.1 परिचय

खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) उपबन्धित करती है कि यदि कोई व्यक्ति, बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी उपखनिज को, किसी भूमि से हटाता है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से, ऐसे हटाये गए उपखनिज या जहाँ ऐसे उपखनिज का निस्तारण कर लिया गया है, उसका मूल्य और उस अवधि के लिए जिसके

दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के भूमि कब्जे में रखी गयी, किराया, रायल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, वसूली कर सकती है।

अग्रेतर, उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के नियम 3 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में ऐसे उपखनिज की, जिस पर यह नियमावली लागू होती हो, इस नियमावली के अधीन दिए गए खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र की शर्तों के विपरीत कोई खनन संक्रियाएं नहीं करेगा।

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के नियम 57 में उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति निर्धारित किया गया है और दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की कैद या ₹ 25,000 तक की शास्ति या दोनों की सजा का प्रावधान है। सरकार के 18 मई 2017 के आदेश के अनुसार उक्त नियम के दण्ड प्रावधानों को, कारावास की सजा जिसे पाँच साल तक बढ़ाया जा सकता है या शास्ति जो प्रति हेक्टेयर ₹ दो लाख से कम नहीं होगा और जिसे प्रति हेक्टेयर ₹ पाँच लाख तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से संशोधित कर दिया गया है।

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के नियम 41(एच)(1) के अन्तर्गत अग्रेतर यह भी प्रावधान है कि पट्टाधारक नदी तल में तीन मीटर की गहराई या जल स्तर जो भी कम हो, से अधिक गहराई में खनन कार्य नहीं करेगा और जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सुरक्षा परिक्षेत्र में कोई खनन नहीं किया जाएगा। यह भी प्रतिबन्ध है कि सक्शन मशीन या लिफ्टर आदि की सहायता से जलधारा में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 का नियम 21(2) आरोपित की जाने वाली रायल्टी की धनराशि निर्धारित करता है और बताता है कि खनिजों की रायल्टी खनिजों के खनिमुख मूल्य⁶⁷ के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सरकार ने 15 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश में भी स्पष्ट किया कि खनिजों का मूल्य रायल्टी का सामान्यतया पाँच गुना है।

वर्ष 2020 में अवैध खनन की शिकायतों वाले क्षेत्रों की ड्रोन निगरानी, खनिज परिवहन वाहनों के पंजीकरण, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) टैग और खदानों के निकास द्वार पर पैन टिल्ट जूम (पीटीजेड) कैमरे के साथ धर्म काँटा और राज्य कमांड सेंटर के साथ उनका एकीकरण की सुविधाओं के साथ एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली (आईएमएसएस) का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया। अप्रैल 2022 तक आईएमएसएस के अन्तर्गत 80,000 वाहनों का पंजीकरण किया गया है, खनन क्षेत्रों में 441 धर्म काँटा स्थापित किए गए हैं, अवैध परिवहन की जाँच के लिए खनन अधिकारियों को हाथ में पकड़ी जाने वाली 75 मशीनें प्रदान की गई हैं और 16 स्वचालित चेक-गेट स्थापित किये गए हैं।

माइन मित्र पोर्टल डीजीएम की एक पहल है। पोर्टल को खनन से सम्बन्धित गतिविधियों जैसे ट्रान्जिट पास के निर्माण और सत्यापन, खनन योजना की प्रस्तुति और अनुमोदन, भण्डारण लाइसेंस जारी करने और रायल्टी और विनियमन शुल्क के भुगतान को आनलाइन जमा करने और निगरानी करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

डीजीएम द्वारा अनुमोदित खनन योजना और पट्टाधारक को स्वीकृत प०म० में किसी भी खनन गतिविधि को करने के लिए सीमांकित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। सभी उप खनिजों की खनन संक्रियाएं खनन योजना के अनुसार की जाएंगी। इसके अलावा, भौतिक एमएम-11 प्रपत्र के स्थान पर 1 अगस्त 2017 से खनिजों के परिवहन हेतु इलेक्ट्रॉनिक-एमएम-11 (ई-एमएम-11) प्रपत्र लागू किए गए थे।

विभाग द्वारा 2017-18 से 2021-22 के दौरान अवैध खनन/परिवहन के प्रकरणों की संख्या एवं अवैध खननकर्ताओं/परिवहनकर्ताओं से आरोपित एवं वसूल की गई धनराशि की सूचना प्रदान की गयी, जिसका विवरण **तालिका-4.1** में दिया गया है:

⁶⁷ “पिट माउथ वैल्यू” का अर्थ है पिट हेड पर या उत्पादन के बिन्दु पर उप खनिज का बिक्री मूल्य।

तालिका 4.1

मामलों की संख्या, आरोपित धनराशि एवं अवैध खननकर्ताओं/परिवहनकर्ताओं से वसूली गई धनराशि का विवरण

वर्ष	अवैध उत्खनन/परिवहन के मामलों की संख्या	आरोपित राशि ₹ करोड़ में	वसूल की गई राशि ₹ करोड़ में
2017-18	10,188	30.45	28.73
2018-19	21,752	98.47	80.86
2019-20	20,348	73.85	48.67
2020-21	21,641	94.51	77.55
2021-22	25,986	138.37	124.89

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

लेखापरीक्षा ने चयनित जि०खा०का० एवं डीजीएम के अभिलेखों की जाँच की। अवैध खनन के मामलों और ई-एमएम-11 प्रपत्रों के सृजन/उपयोग में कमियों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई अनियमितताओं को आगामी प्रस्तारों में उजागर किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.2 अवैध खनन सम्बन्धी नियामक ढाँचे में अन्तराल

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के नियम 23(1) में उपबन्धित है कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उन क्षेत्रों की घोषणा कर सकती है जिन्हें नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जा सकता है। अग्रेतर, नियम 23(3) में उपबन्धित है कि ऐसी घोषणा पर, उक्त नियमावली का अध्याय-III⁶⁸ उस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा जिसके सम्बन्ध में घोषणा जारी की गई है।

इस प्रकार, किसी भी अवैध खनन के लिए राज्य सरकार अध्याय-III के प्रावधानों के अनुसार खनिज या उसके मूल्य और प्रासंगिक रायल्टी की वसूली कर सकती है। हालाँकि, उन क्षेत्रों के लिए जिन्हें नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए अधिसूचित किया गया है, अध्याय-III में दी गयी रायल्टी दर लागू नहीं है।

लेखापरीक्षा ने दो परिदृश्यों में दण्डात्मक प्रावधानों का विश्लेषण किया: अवैध खनन (अ) नीलाम क्षेत्रों में और (ब) नीलाम क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में। विश्लेषण के परिणाम नीचे दिये गये हैं।

(अ) नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्रों के मामले जिनमें खनिज मूल्य परिभाषित नहीं है

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के नियम 23(3) में उपबन्धित है कि नीलामी वाले क्षेत्रों के लिए अध्याय III लागू नहीं होगा। अध्याय III निर्धारित करता है कि खनिजों की रायल्टी खनिज के पिट-माउथ मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इसके आधार पर खनिज मूल्य आमतौर पर रायल्टी का पाँच गुना माना जाता है। चूँकि, अध्याय III नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्रों के मामलों में लागू नहीं होता है, ऐसे में अवैध खनन के मामले में खनिज मूल्य किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा, इस बारे में अस्पष्टता है। खनिज मूल्य आरोपित करने के लिए उपयुक्त प्रावधानों के अभाव में, जिला प्राधिकारियों ने अध्याय III की दरों को अपनाया।

⁶⁸ ई-नीलामी प्रणाली से पहले दिए जाने वाले पट्टों के लिए रायल्टी और अनिवार्य किराया के भुगतान से सम्बन्धित प्रावधान।

(ब) नीलाम किए गए क्षेत्रों के अन्दर/निकटवर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन के लिए अपर्याप्त रायल्टी की मात्रा और खनिज मूल्य आरोपित किया गया

लेखापरीक्षा ने 16 जि०खा०का० के 217 पट्टों की पट्टा पत्रावलियों की नमूना जाँच किया और देखा कि 11 जि०खा०का०⁶⁹ में जहाँ नीलामी के माध्यम से पट्टे दिए गए थे, जिला प्राधिकारियों की जाँच टीम ने पट्टा क्षेत्र के अन्दर और स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों से 65 पट्टाधारकों द्वारा 10,98,156.37 घन मीटर उप खनिजों (बालू/मोरम/गिट्टी) के अवैध उत्खनन के 111 मामलों की सूचना दी गयी। जिला प्राधिकारियों ने अवैध खनन की मात्रा की गणना की और 111 मामलों में 65 पट्टाधारकों को अवैध खनन के लिये रायल्टी की आधार दर⁷⁰ पर कुल ₹ 90.28 करोड़ (₹ 15.22 करोड़ रायल्टी के रूप में, ₹ 73.55 करोड़ खनिज मूल्य के रूप में और ₹ 1.51 करोड़ शास्ति के रूप में) के माँग पत्र निर्गत किये और केवल ₹ 9.18 करोड़ ही वसूल कर सके।

लेखापरीक्षा ने जिलाधिकारी द्वारा वास्तव में आरोपित की गयी रायल्टी की दरों पर आधारित रायल्टी की मात्रा एवं खनिज मूल्य की तुलना नीलामी के माध्यम से प्राप्त रायल्टी की मात्रा और खनिज मूल्य से की। कुछ उदाहरणात्मक मामलों का विवरण तालिका-4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2
अवैध खनन के लिए दण्ड राशि का विश्लेषण

(₹ लाख में कालम 3,4,8 के अतिरिक्त)										
क्र० सं० (1)	पट्टाधारक का नाम (2)	अवैध खनन की मात्रा (घन मीटर में) एवं खनिज का नाम (3)	जिलाधिकारी द्वारा वास्तव में आरोपित				नीलामी के माध्यम से प्राप्त दर पर आधारित (लेखापरीक्षा द्वारा आकलित)			
			रायल्टी की दर (प्रति घन मीटर) (4)	रायल्टी (5)	रायल्टी का मूल्य (6)	कुल (7)	प्राप्त की गयी रायल्टी की दर (8)	रायल्टी (9)	रायल्टी का मूल्य (10)	कुल (11)
I	श्री मनीष चौहान	98,463 (रेत)	65	64.01	320.07	384.08	429	422.49	2,112.46	2,534.95
II	मेसर्स चौधरी ईंट. उद्योग प्रो— श्री बालकृष्ण शर्मा	9,450 (मोरम)	150	14.18	70.88	85.06	901	85.14	425.72	510.86
III	मेसर्स साई राम इण्टरप्राइजेज, पार्टनर—श्री चंद्र भूषण गुप्ता	62,072 (गिट्टी)	160	99.32	496.58	595.90	3,010	1,868.37	9,341.84	11,210.21
IV	मेसर्स सीएस इंफ्राकंस्ट्रक्शन, प्रो० श्रीमती पुष्पा सिंह	33,603 (गिट्टी)	160	53.76	268.82	322.58	3,000	1,008.09	5,040.45	6,048.54

उपरोक्त तालिका में आँकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि अवैध खनन के लिए दण्डात्मक माँग जैसे कि उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 के अध्याय III में दी गई रायल्टी की दरों पर आधारित थीं, जो नीलामी के माध्यम से प्राप्त दरों से बहुत कम थी। इस प्रकार, जबकि अध्याय III में उपरोक्त मामलों में रायल्टी की दरें ₹ 65 से ₹ 160 तक थीं, नीलामी के माध्यम से प्राप्त दरें ₹ 429 से ₹ 3,010 तक थीं। अध्याय III की

⁶⁹ बागपत, बाँदा, बुलन्दशहर, फतेहपुर, जीबी नगर, हमीरपुर, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, शामली और सोनभद्र।

⁷⁰ उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 की अनुसूची I में दी गयी खनिजों पर रायल्टी की दरें।

दरों के आधार पर, इन पट्टाधारकों से केवल ₹ 85.06 लाख से ₹ 5.96 करोड़ के बीच की राशि (रायल्टी और खनिज मूल्य) की माँग की गई थी। हालाँकि, यदि नीलामी दरों पर गणना की जाती तो इन चार पट्टाधारकों को ₹ 5.11 करोड़ से ₹ 112.10 करोड़ के बीच दण्ड राशि का भुगतान करना होता। इसलिए, पट्टा क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों के भीतर पट्टाधारकों द्वारा अवैध खनन की घटनाओं के बावजूद, मौजूदा नियमों ने काफी कम दरों पर रायल्टी और खनिज मूल्य के आरोपण और सरकार को सम्भावित राजस्व की हानि को अनुमन्य किया।

सरकार ने समापन गोष्ठी में कहा कि खा० और ख० (वि० और वि०) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी भी भूमि से बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी खनिज का उठान और निस्तारण करता है, तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से रायल्टी, कर, खनिज मूल्य आदि वसूल सकती है। उप खनिजों के लिए रायल्टी की दरें उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली 2021 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। नियमावली के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, रायल्टी, खनिज के बिक्री मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। खनिज मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिनियम या नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में नियमावली की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट रायल्टी दर को आधार मूल्य माना जाता है। बोली प्रक्रिया में उच्चतम बोली से प्राप्त राशि को रायल्टी नहीं कहा जा सकता। रायल्टी का कानूनी अर्थ अधिनियम या नियमावली में निर्दिष्ट रायल्टी तक ही सीमित है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये खनन क्षेत्रों के मामलों में अध्याय III और उसमें प्रदान की गयी रायल्टी की दरें लागू नहीं होती हैं। इन मामलों में, पट्टाधारकों द्वारा पट्टा क्षेत्र और/या स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्र में अवैध खनन किया गया था और इसलिये खनिज मूल्य नीलामी दर के पाँच गुना पर आरोपित किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त, अध्याय III में प्रदान की गयी रायल्टी की दरों में 19 जनवरी 2016 से संशोधन नहीं किया गया था। अग्रेतर, नीलामी दर पर रायल्टी लागू नहीं करने और अध्याय III में प्रदान की गयी रायल्टी की दरों को संशोधित नहीं करने के परिणामस्वरूप ऐसे उदाहरण सामने आये (संदर्भ तालिका 4.2 की क्रम संख्या 3 और 4) जहाँ अवैध खनन के लिये आरोपित की गयी रायल्टी की धनराशि और खनिज मूल्य वैध खनन के लिये देय रायल्टी की धनराशि से बहुत कम है। इससे अवैध खनन को बढ़ावा मिलता है और शासन को सम्भावित राजस्व की काफी क्षति होती है।

संस्तुति:

5. सरकार नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों में खा० एवं ख० (वि० और वि०) अधिनियम की धारा 21(5) के अनुसार खनिज मूल्य और रायल्टी को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए उ०प्र० उ०ख०प० नियमावली में संशोधन कर सकती है।

6. सरकार नीलामी के माध्यम से तय किए गए खनन पट्टों के निकटवर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन के मामलों में लागू होने वाली रायल्टी की दरों की समयबद्ध तरीके से समीक्षा और अद्यतन भी कर सकती है।

4.3 गूगल अर्थ से देखी गई अवैध खनन और अन्य अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ से 16 जनपदों के 217 पट्टा स्थलों की जाँच किया और ऐसे उदाहरण पाये जिनमें पट्टा क्षेत्र से बाहर एवं बिना पट्टा के खनिजों का उत्खनन किया गया। यह भी पाया गया कि पट्टाधारकों ने बालू खनन दिशानिर्देशों और उ०प्र० उ०ख०प० नियमावली, 1963 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसमें उत्खनकों की मदद से खनिज का उत्खनन किया। गूगल अर्थ से प्राप्त कुछ प्रेक्षण नीचे चित्रों के साथ दर्शाए गए हैं, जो आपत्तिगत क्षेत्रों को उजागर करते हैं:

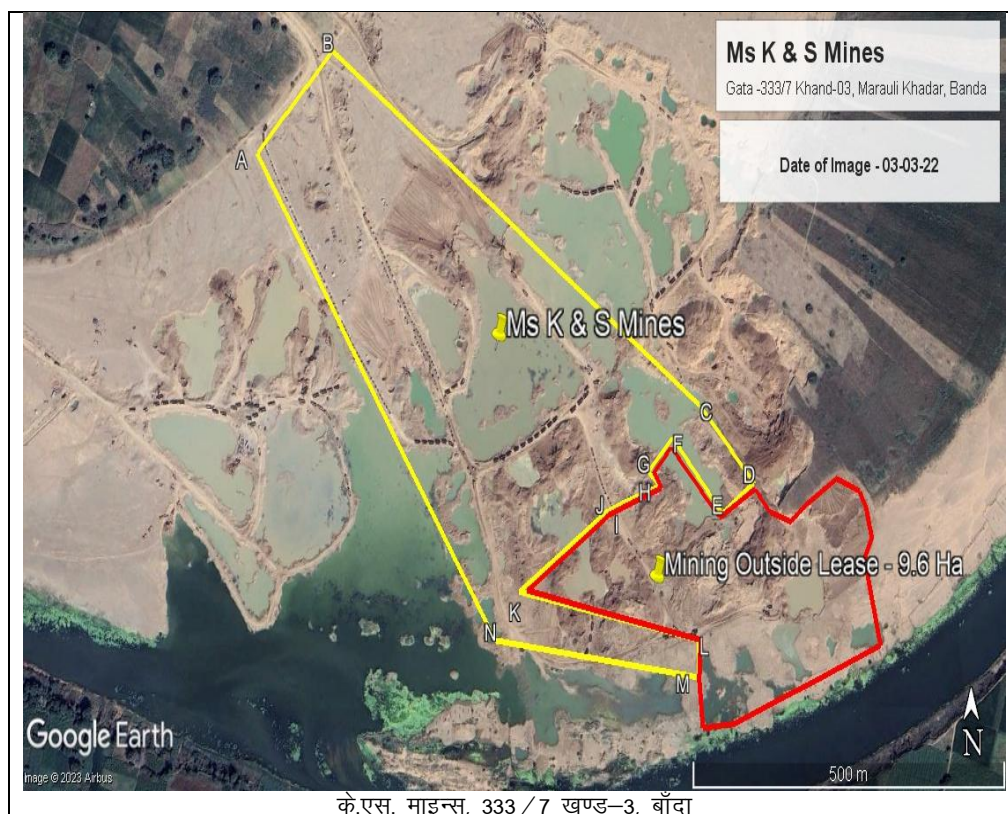
4.3.1 पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन

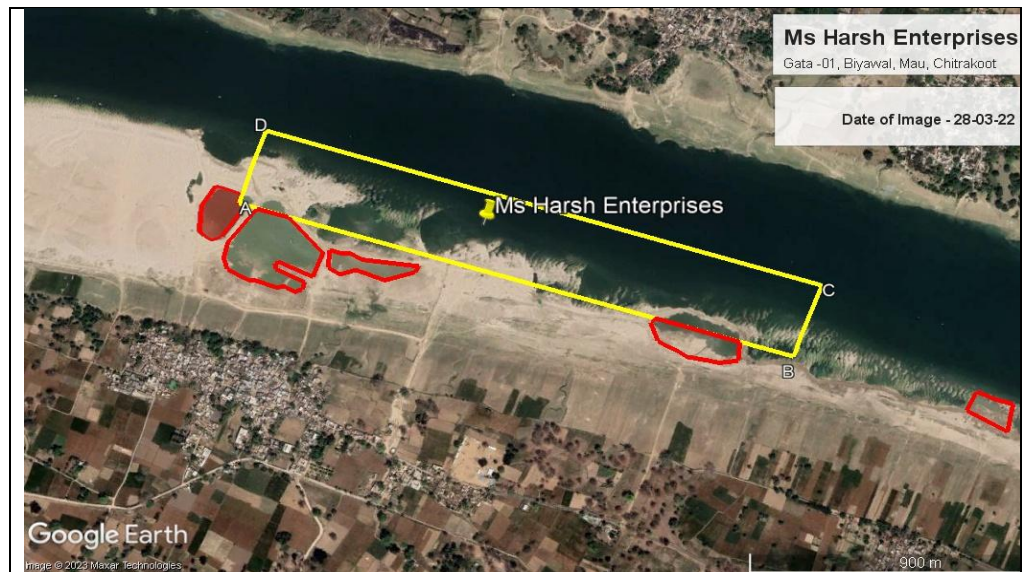
प०म०/सीमांकन रिपोर्ट में दिखाए गए 16 जनपदों के 217 खनन पट्टों के भू-निर्देशांकों का अंकन करने के बाद, लेखापरीक्षा ने 11 जिलों में पाया कि 45 पट्टाधारकों को आवंटित पट्टा क्षेत्रों के बाहर खनिजों का उत्खनन किया गया था और कुल क्षेत्रफल जिसमें अवैध खनन किया गया था वह लगभग 268.91 हेक्टेयर (26,89,100 वर्ग मीटर) था। रुढ़िवादी पक्ष के अनुसार, न्यूनतम एक मीटर की गहराई लेते हुए, 26.89 लाख घन मीटर खनिजों का अवैध रूप से उत्खनन किया गया जैसा कि तालिका-4.3 में वर्णित है।

तालिका 4.3
पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन

जिला का नाम	पट्टा क्षेत्र के बाहर खनन	
	मामलों की संख्या	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
बांदा	6	45.48
चित्रकूट	4	34.29
फतेहपुर	5	32.42
गौतमबुद्धनगर	2	15.60
हमीरपुर	11	62.91
कानपुर देहात	1	1.79
कौशाम्बी	5	15.27
प्रयागराज	5	22.09
सहारनपुर	2	7.96
सिद्धार्थनगर	1	1.00
सोनभद्र	3	30.10
योग	45	268.91

उपरोक्त पट्टों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं।

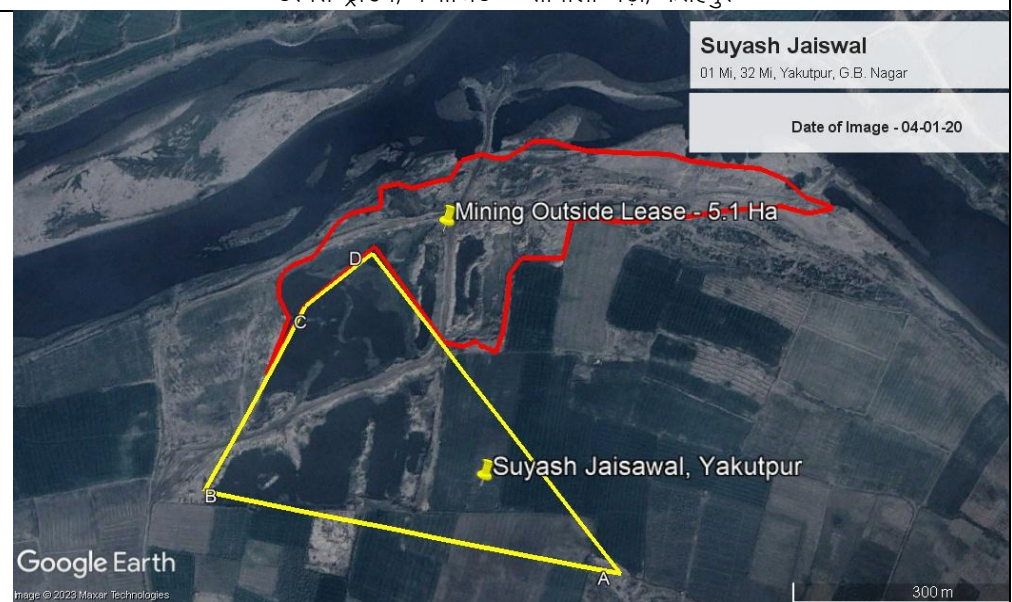




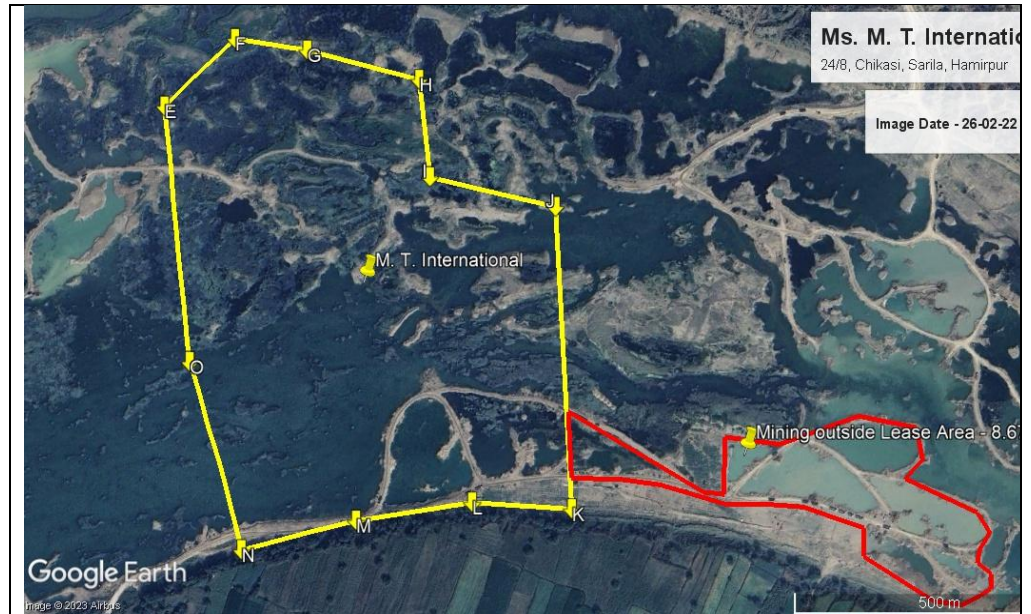
हर्ष इंटरप्राइजेज, बियावल, चित्रकूट



टेस्मस ट्रेडिंग, कंपोजिट – सांगोली गढ़ा, फतेहपुर



सुयश जयसवाल, 01 मि., 32 मि., याकूतपुर, जी.बी. नगर



एम. टी. इंटरनेशनल, 24/8 – चिकासी, हमीरपुर



प्राइम विजन, ख-11/37, अंगना, कौशाम्बी



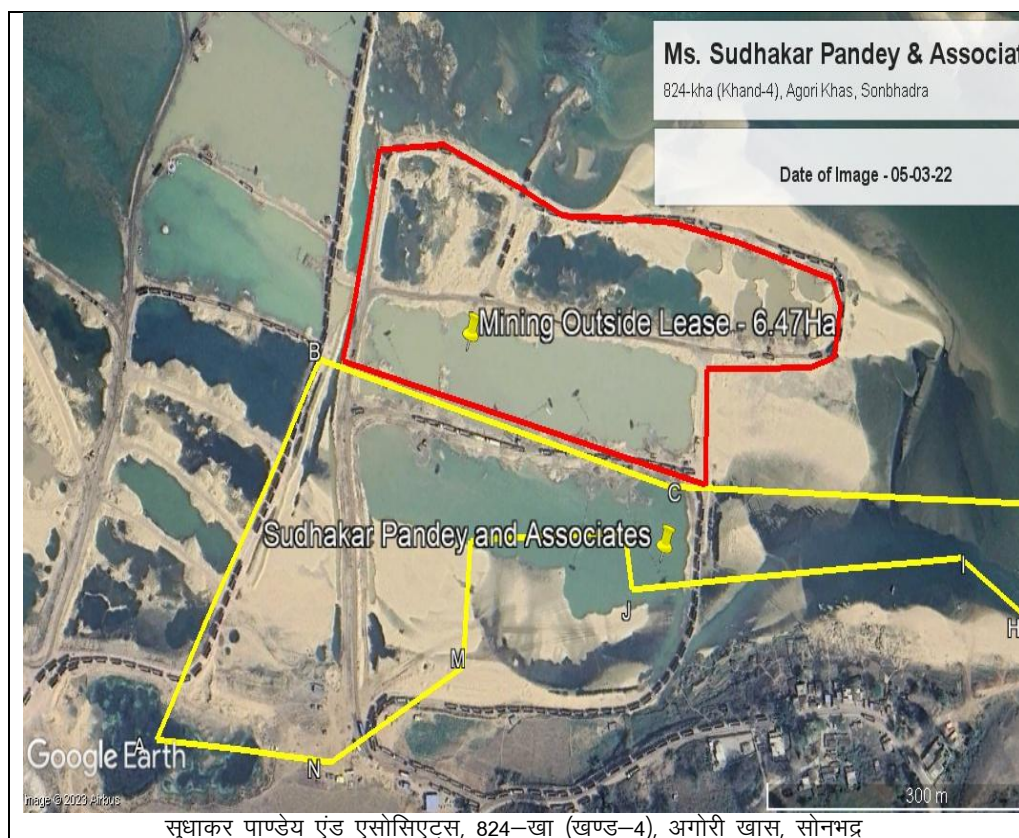
पाताल गंगा एसोसिएट्स, खण्ड-05, नौधिया अमिलिया, प्रयागराज



एमएस प्राइम विजन, गाटा संख्या-1/1, दरिया बरामाद, सहारनपुर



आयुष ट्रेडर्स, गाटा-331-का, बर्दपुर, सिद्धार्थनगर



चित्र 4.1- पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिजों का उत्खनन (पट्टा क्षेत्र – पीला बहुभुज, अवैध खनन क्षेत्र – लाल बहुभुज)

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में कहा कि पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे खनन कार्य की समय-समय पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा जाँच की जाती है। इसके अलावा, तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से ड्रोन सर्वेक्षण करके अवैध खनन पर रोक लगाई जाती है। निरीक्षण के दौरान स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। गूगल अर्थ से प्राप्त चित्र एवं क्षेत्र के बाहर खनन गड्ढों की अनुमानित माप के आधार पर कानूनी कार्यवाही संभव नहीं है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित जि०खा०अ० ने इन अवैध खनन क्षेत्रों का पता लगाने और जाँच करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप का उपयोग नहीं किया।

4.3.2 खनन पट्टा दिये बिना अवैध खनन

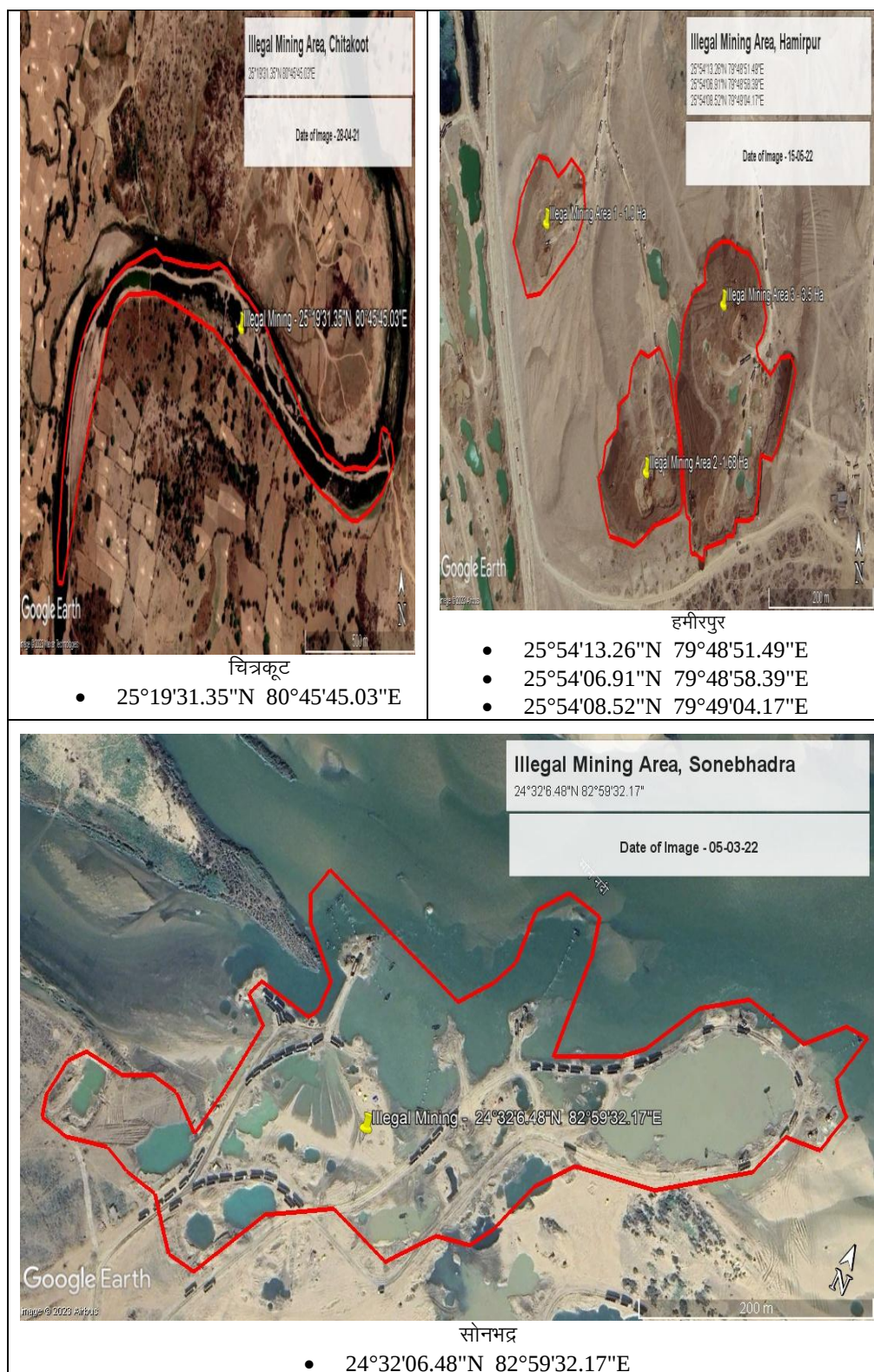
प०म०/सीमांकन रिपोर्ट में दिखाए गए 16 जनपदों के 217 खनन पट्टों के भू-निर्देशांकों का अंकन करने के बाद लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन जिलों के पाँच मामलों में खनन पट्टा दिए बिना 30.40 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्खनन हुआ। उपग्रही इमेजरी ने स्पष्ट रूप से इन क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही, पोक्लेन/उत्खनक/सक्शन पम्प की उपस्थिति और खनन गतिविधियों का संकेत देने वाली सतह की बनावट का एक सुसंगत पैटर्न दिखाया। देखे गए मामलों का विवरण तालिका-4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4

खनन पट्टा दिए बिना अवैध खनन

जिला	लीज एरिया के अलावा अवैध खनन	
	मामलों की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
चित्रकूट	1	14.90
हमीरपुर	3	6.18
सोनभद्र	1	9.32
योग	5	30.40

उपरोक्त मामलों के उदाहरण निम्नलिखित हैं।



चित्र 4.2— खनन पट्टा दिए बिना उत्खनन (अवैध खनन क्षेत्र—रेड पॉलीगॉन)

समापन गोष्ठी में शासन ने बिना खनन पट्टा दिए उत्खनन के मामले पर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।

4.4 रिमोट सेंसिंग/जीआईएस के माध्यम से पता लगाया गया अवैध खनन एवं अन्य अनियमिततायें

लेखापरीक्षा परिणामों के प्रारम्भिक निष्कर्षों के पुनर्मूल्यांकन और पुष्टि के लिए लेखापरीक्षा ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सेल, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के सहयोग से एक अध्ययन किया। अध्ययन रिपोर्ट विभाग को उसके उत्तर/टिप्पणियों के लिए जारी की गई थी। चयनित तहसील सरीला (हमीरपुर) एवं बारा (प्रयागराज) में लेखापरीक्षा एवं विभाग के साथ जीआईएस सेल के प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र जाँच भी की गई। अवैध खनन की उपस्थिति का आकलन करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई।

अ. न्यूनतम क्लाउड कवर के साथ उपलब्ध क्षेत्रों को कवर करने वाली उपग्रह इमेजरी का चयन।

ब. उपग्रह इमेजरी का सह-पंजीकरण।

स. उपग्रह इमेजरी का ऑर्थोरेक्टिफिकेशन⁷¹।

द. उपग्रह चित्रों द्वारा संदिग्ध अवैध रूप से खनन और पहुँच वाले क्षेत्रों की मैनुअल मैपिंग और उनकी अस्थायी तुलना।

य. उपग्रह चित्रों से अवैध संदिग्ध खनन का मानचित्रण मुख्य रूप से सन्देह रहित उत्खनन क्षेत्रों पर केंद्रित है, जो ढलान बहुत स्पष्ट नहीं हैं उनका मानचित्रण नहीं किया जाता है।

र. अवैध के रूप में मैप किये गये क्षेत्र मुख्य रूप से उपग्रही चित्रों और उपलब्ध उपग्रही चित्रों की तुलना के आधार पर चिन्हित किये गये हैं।

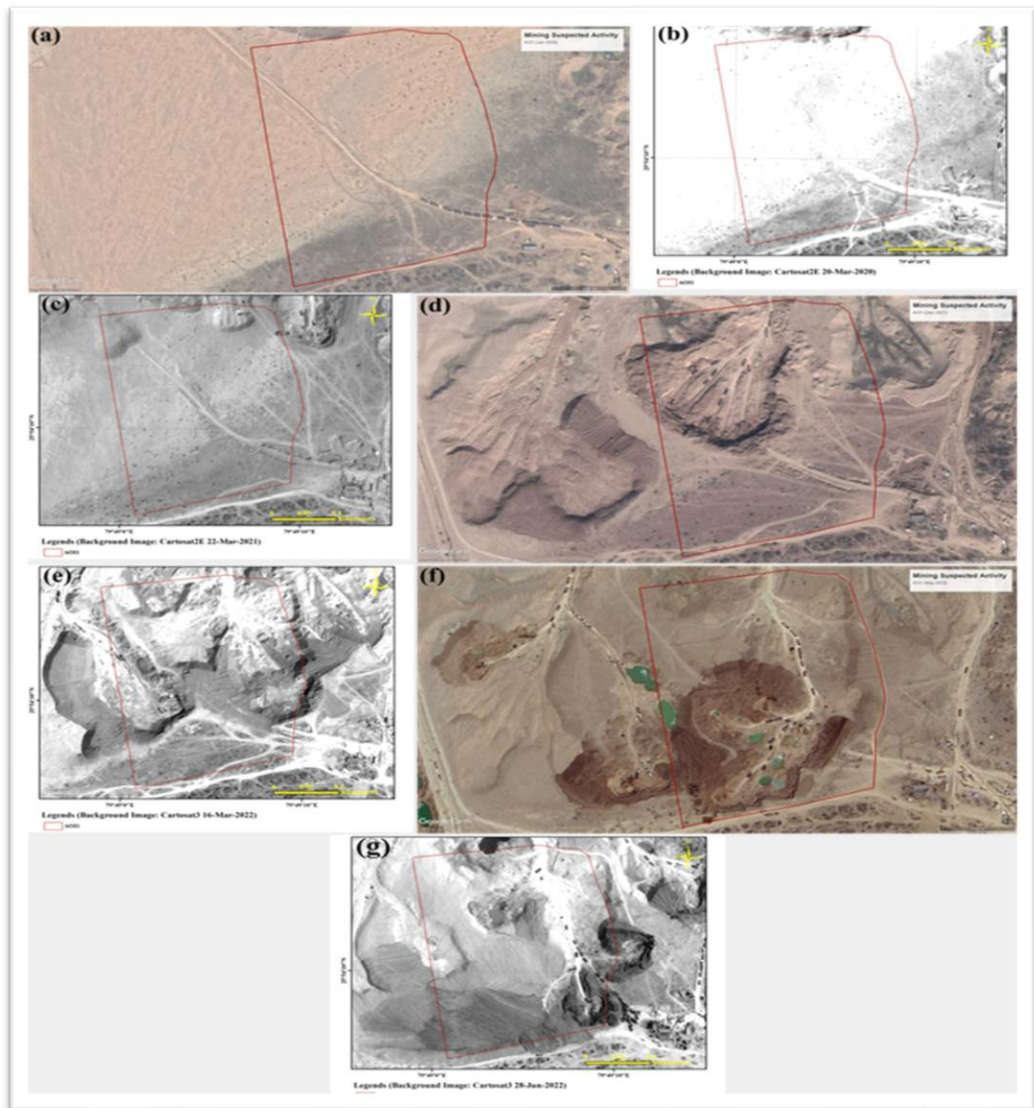
ल. नदी के किनारे वाले स्थलों की खुदाई की सीमा के लिए अधिकतर जल जमाव वाले क्षेत्रों का उपयोग किया गया है।

व. आयतन गणना के लिए स्थलाकृति के डेटा संग्रह हेतु टोटल स्टेशन का उपयोग किया गया था।

4.4.1 जाँच का क्षेत्र-1: भेड़ी खरका, सरीला, हमीरपुर

क्षेत्र भ्रमण के लिए चयनित जाँच क्षेत्र-1 (एओआई-1) चित्र-4.3 (लाल बहुभुज, 24.9 एकड़) में दिखाया गया है जो मोरम का स्थल है। एओआई-1 का चयन, प्रारम्भ में गूगल अर्थ उपग्रह इमेजरी द्वारा (चित्र 4.3 के अनुसार कार्टोसैट इमेजरी द्वारा भी मैप किया गया) अवैध संदिग्ध खनन गतिविधियों के प्रेक्षण पर और फिर भेड़ी खरका गाँव में स्थलों का क्षेत्र सर्वेक्षण करने पर किया गया था। चित्र 4.3, एओआई-1 में संदिग्ध खनन गतिविधियों को उजागर करने के लिए 2020 से 2022 तक की गूगल अर्थ से प्राप्त चित्र और कार्टोसैट 2ई और कार्टोसैट 3 से प्राप्त चित्रों को दिखाता है।

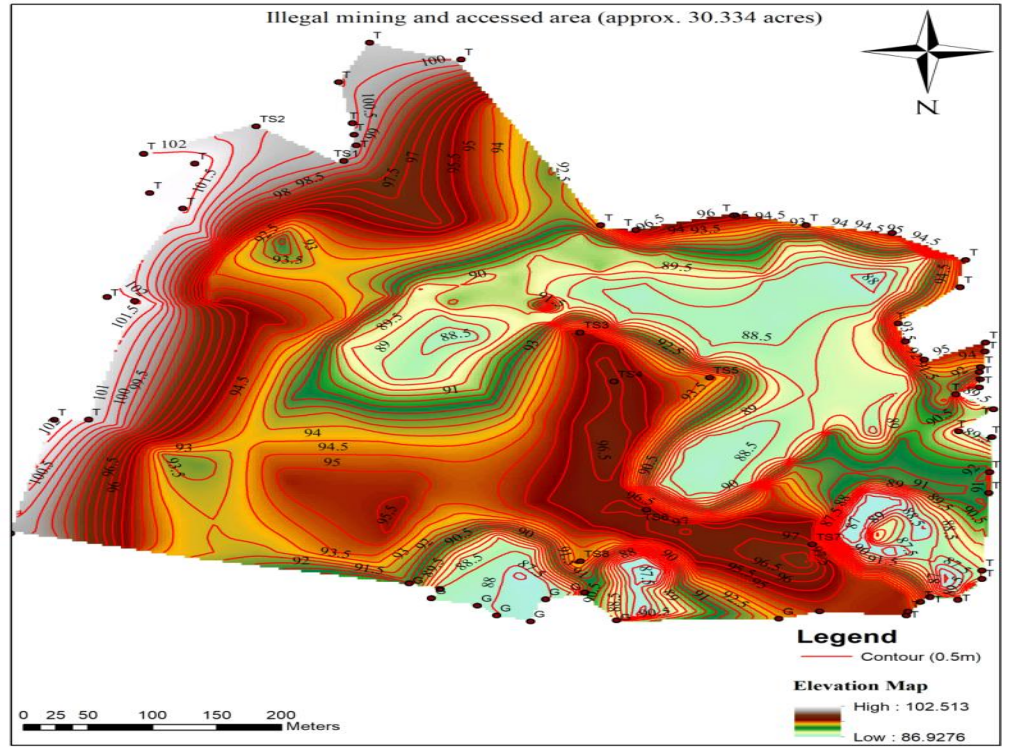
⁷¹ यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपक्व उपग्रह चित्र डाटा से क्षेत्रीय विकृतियाँ हटायी जाती है ताकि विश्वसनीय चित्र डाटा प्राप्त हो सके।



चित्र 4.3- लाल बहुभुज में कार्टोसैट और गूगल अर्थ छवियों में चयनित एओआई-1 दिखाया गया है (ए) जनवरी-2020, (बी) कार्टोसैट 2ई, मार्च-2020, (सी) कार्टोसैट 2ई, मार्च-2021, (डी) दिसम्बर- 2021, (ई) कार्टोसैट 3, मार्च-2022, (एफ) मई 2022, (जी) कार्टोसैट 3, जून-2022 (अक्षांश - 25.902982°, देशांतर - 79.817960°)



चित्र 4.4: डेटा संग्रह के दौरान खींचे गए फोटोग्राफ



चित्र 4.5: एओआई-1 का समोच्च मानचित्र

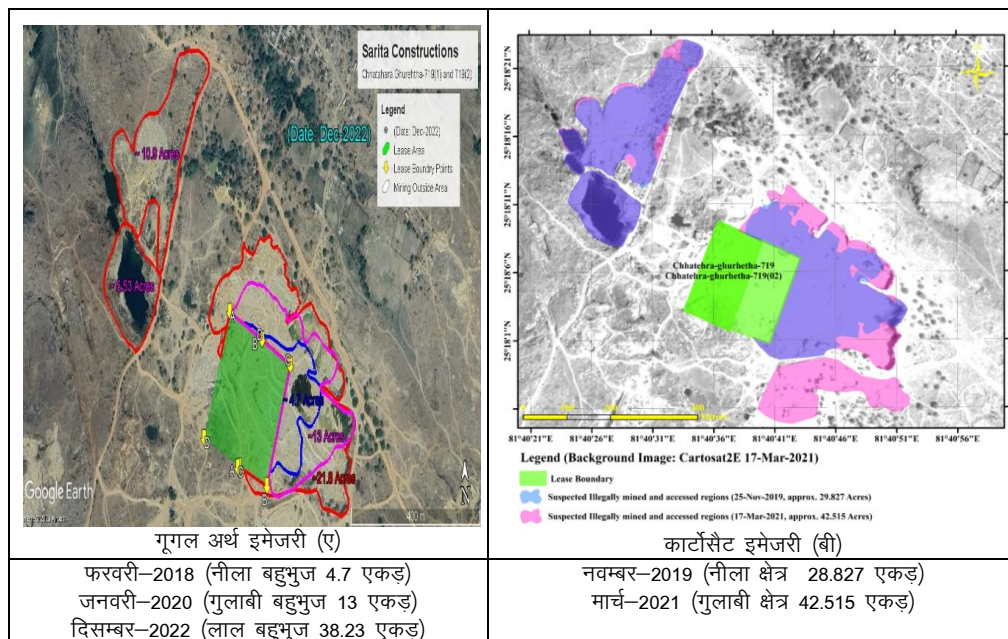
गूगल अर्थ से लेखापरीक्षा ने देखा कि जनवरी-2020 की इमेजरी में ट्रकों के एक बेड़े को एओआई-1 से गुजरते हुए देखा गया है, उस समय कोई उत्खनन नहीं देखा गया है। दिसम्बर-2021 की इमेजरी में एओआई-1 में पट्टे (मेसर्स ए जे कंस्ट्रक्शन गाटा संख्या 23/14) को जोड़ने वाले रास्ते पर ट्रकों का एक बेड़ा देखा गया है और एओआई के उत्तर-पश्चिम हिस्से का उत्खनन किया गया है (9.29 एकड़)। मई-2022 की तस्वीरों में एओआई-1 के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में ट्रकों के एक बेड़े को उत्खननों के साथ देखा गया है और दक्षिण-पश्चिम हिस्से में बड़े पैमाने पर उत्खनन किया गया है।

अग्रेतर, क्षेत्र के भ्रमण पर एओआई-1 में सन्दर्भ स्तर से 6-10 मीटर की गहराई के कुल पाँच बड़े गड्ढे और 4 छोटे गड्ढे पाए गए, जो 15 मई 2022 की गूगल अर्थ इमेजरी से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। अबाधित भूमि का सन्दर्भ स्तर लेते हुये एक ऊंचाई समोच्च मानचित्र तैयार किया गया है (चित्र 4.5), जो बड़े गड्ढों के क्षेत्र और गहराई को उचित ठहराता है। एओआई-1 के उत्तर से एक मोरम सड़क प्रवेश करती है जो जुड़े हुये पट्टे (मेसर्स ए.जे. कंस्ट्रक्शन, गाटा संख्या 23/14) से आती है।

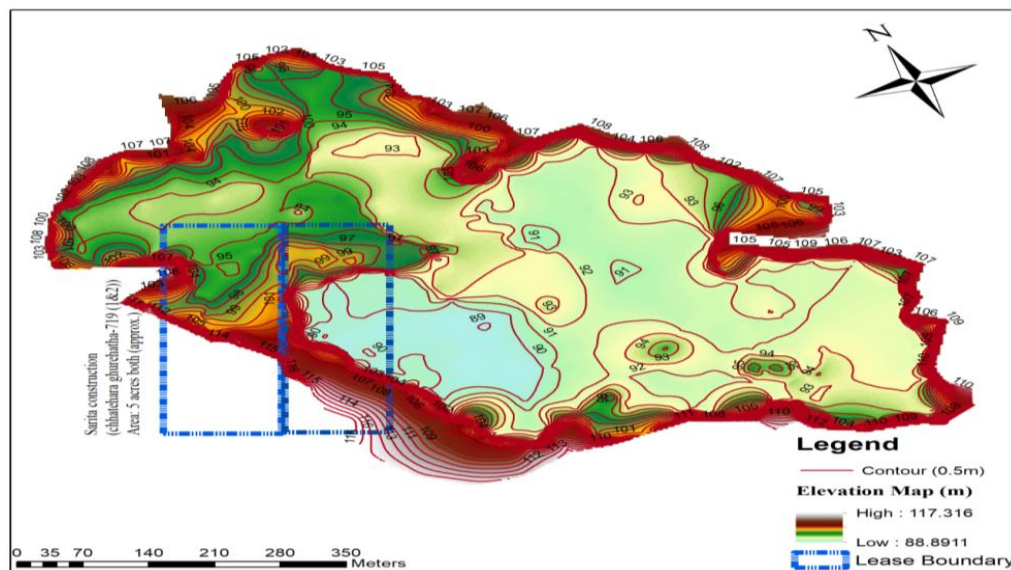
डेटा संग्रह के आधार पर, लगभग 1,22,759 वर्ग मीटर (30.334 एकड़) के समतुल्य क्षेत्र में खनन किया गया जिसमें लगभग 3,72,963 घन मीटर मोरम की मात्रा शामिल थी। परिणामस्वरूप, सरकार को ₹ 34.21 करोड़ (रायल्टी ₹ 5.59 करोड़, खनिज मूल्य ₹ 27.97 करोड़ और शास्ति लगभग ₹ 65 लाख) के राजस्व से वंचित होना पड़ा। सम्बन्धित जि0खा0अ0 इस क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधि चिन्हित करने में विफल रहे।

4.4.2 जाँच का क्षेत्र-2: छतहरा घुरेहठा, बारा, प्रयागराज

दूसरा क्षेत्र, एओआई-2 को आयतन गणना के लिए चुना गया था, चित्र 4.6(ए) (लाल बहुभुज) में दिखाया गया है। यह ग्राम छतहरा घुरेहठा, गाटा संख्या 719 – खण्ड 1 और खण्ड 2, क्षेत्रफल: 5 एकड़ प्रत्येक (जीपीएस निर्देशांक के अनुसार 5.99 और 4.84 एकड़) में सरिता कंस्ट्रक्शन का पत्थर का पट्टा है। चित्र 4.6(ए) में, लाल, गुलाबी, नीला और हरा बहुभुज क्रमशः वर्ष 2018, 2020 और 2022 में उत्खनन दिखाते हैं और आवंटित स्थल के साथ सीमा को दर्शाते हैं। चित्र 4.6(बी) भी 2019 और 2021 की कार्टोसैट इमेजरी का उपयोग करके मैप की गई संदिग्ध अवैध खनन गतिविधियों को दिखाता है।



चित्र 4.6: सरिता कंस्ट्रक्शन्स (छतहरा घुरेठा-719(1) और 719(2)) के आसपास दर्ज की गई खनन संदिग्ध गतिविधि एओआई-2 में दो पट्टे शामिल हैं लेकिन उत्खनन लगातार पट्टों के बाहर किया गया था (चित्र 4.6 (ए) और (बी) देखें)। पट्टे वाले क्षेत्र के बाहर काफी हद तक 15-20 मीटर की गहराई तक खनन किया गया था और समोच्च ऊँचाई मानचित्र (चित्र 4.7) भी इसे उचित ठहराता है।

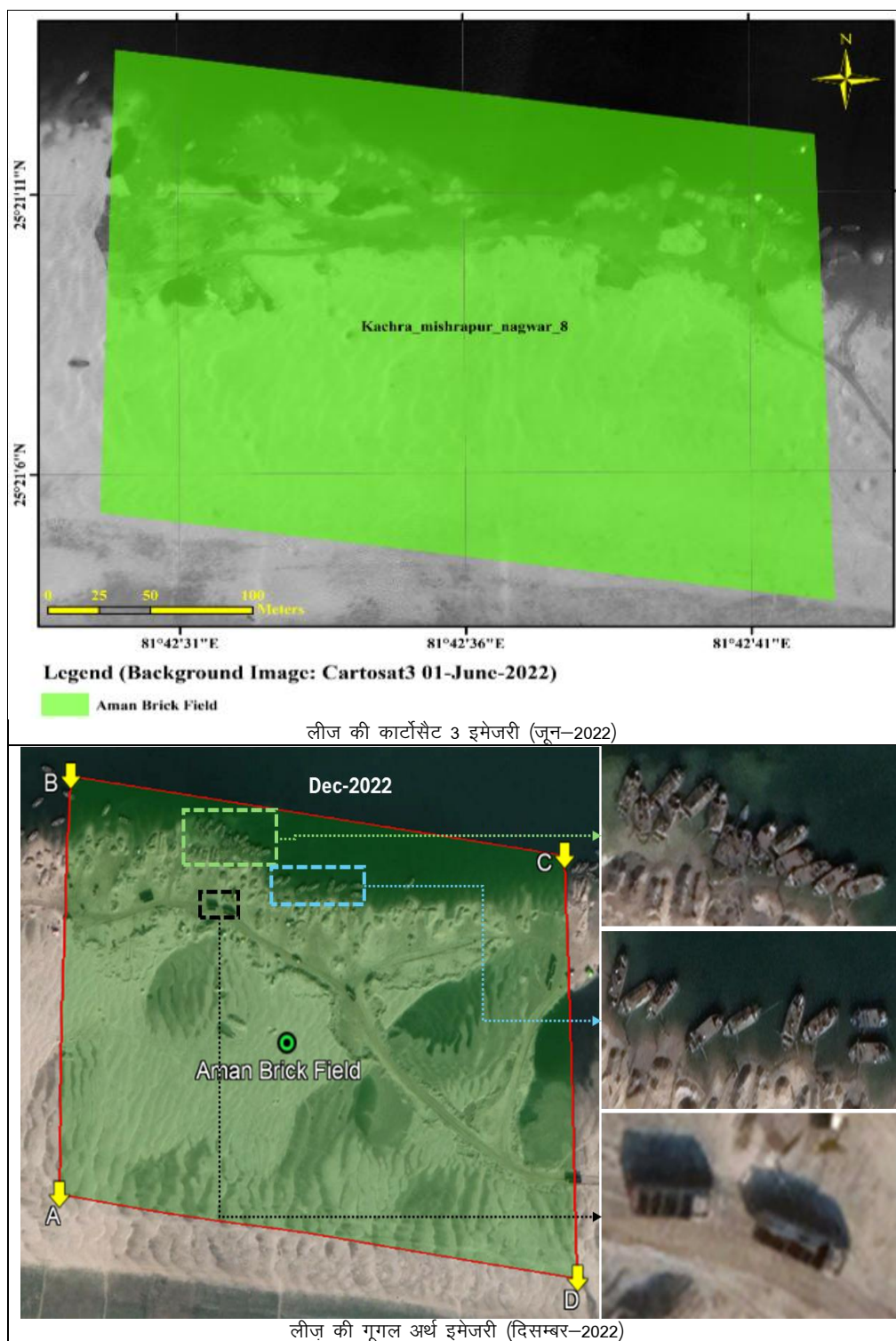


चित्र 4.7: एओआई-2 का समोच्च मानचित्र

उपरोक्त जाँच के आधार पर, कुल लगभग 1,17,545 वर्ग मीटर (29.046 एकड़) के समतुल्य क्षेत्र का खनन किया गया था, जिसमें लगभग 18,18,890 घन मीटर मात्रा शामिल थी। परिणामस्वरूप, सरकार को ₹ 120.66 करोड़ (रायल्टी ₹ 20.01 करोड़, खनिज की कीमत ₹ 100.05 करोड़ और शास्ति ₹ 60 लाख) के राजस्व से वंचित होना पड़ा। सम्बन्धित जि०खा० इस क्षेत्र में अवैध खनन गतिविधि की पहचान करने में विफल रहे।

4.4.3 जाँच का क्षेत्र-3 : कचरा मिश्रपुर, बारा, प्रयागराज

चित्र 4.8 (हरा बहुभुज) में दिखाया गया चयनित एओआई-3, मेसर्स अमन ब्रिक फील्ड का बालू पट्टा है। तस्वीरों से यह देखा जा सकता है कि एओआई-3 के आसपास कई नावों की पहचान की गई थी।



चित्र 4.8: चयनित एओआई-3 (हरे बहुभुज में), (अक्षांश:25.322359°, देशांतर:81.709870°) अमन ब्रिक फील्ड (कचरा, मिश्रपुर, नगरवार खण्ड-08)

फरवरी 2023 में क्षेत्र भ्रमण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि पट्टा स्थल का उपयोग खनन उद्देश्य के लिए कुशलतापूर्वक नहीं किया गया था, इसके बजाय इसका उपयोग बालू डम्प करने के लिए किया जा रहा था। बालू को अन्य स्थानों से नावों द्वारा लाया जा रहा था और पट्टा स्थल का उपयोग डंपिंग उद्देश्य के लिए किया जा रहा था (चित्र 4.9)।



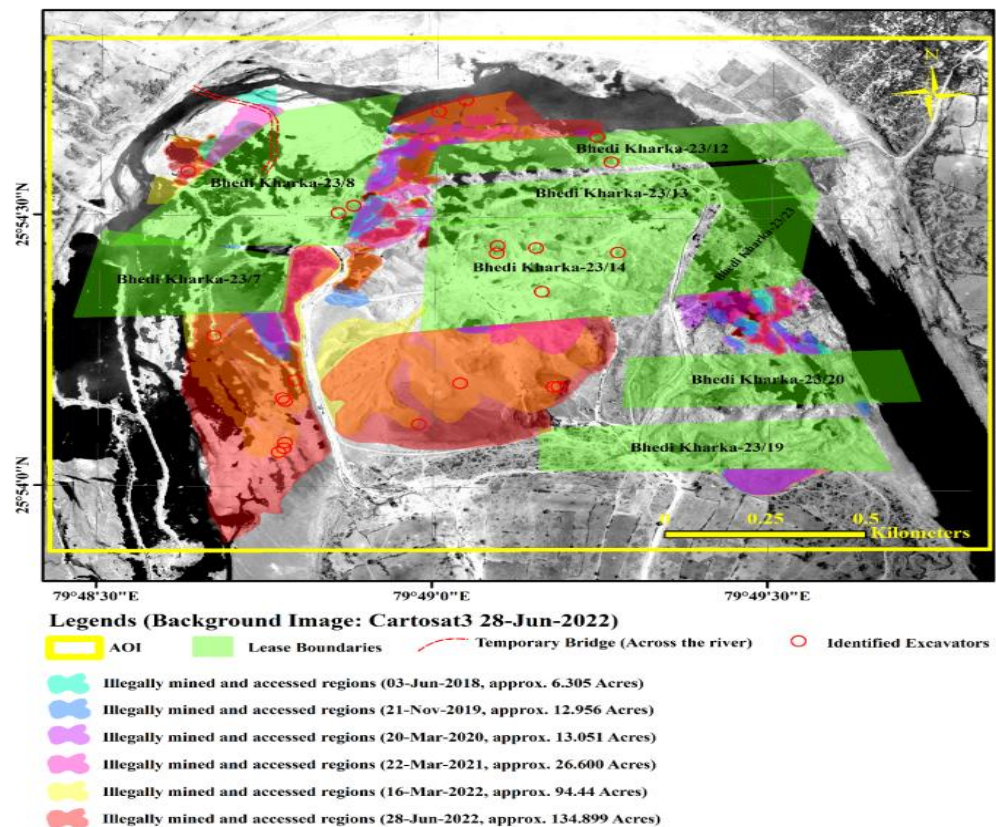
चित्र 4.9: प्रयागराज के क्षेत्र भ्रमण के दौरान ली गई तस्वीरें

4.4.4 सैटेलाइट इमेजरीज़ (गूगल अर्थ और कार्टोसैट इमेज) का उपयोग करके की गई जाँच

लेखापरीक्षा ने उपग्रह इमेजरी (गूगल अर्थ और कार्टोसैट इमेजरी) से चयनित स्थलों की खनन गतिविधियों का विश्लेषण किया और दोनों से प्राप्त चित्रों की तुलना की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पट्टाधारकों द्वारा लगातार अवैध खनन किया जा रहा था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है—

अ. ग्राम भेड़ी खरका, सरीला, हमीरपुर

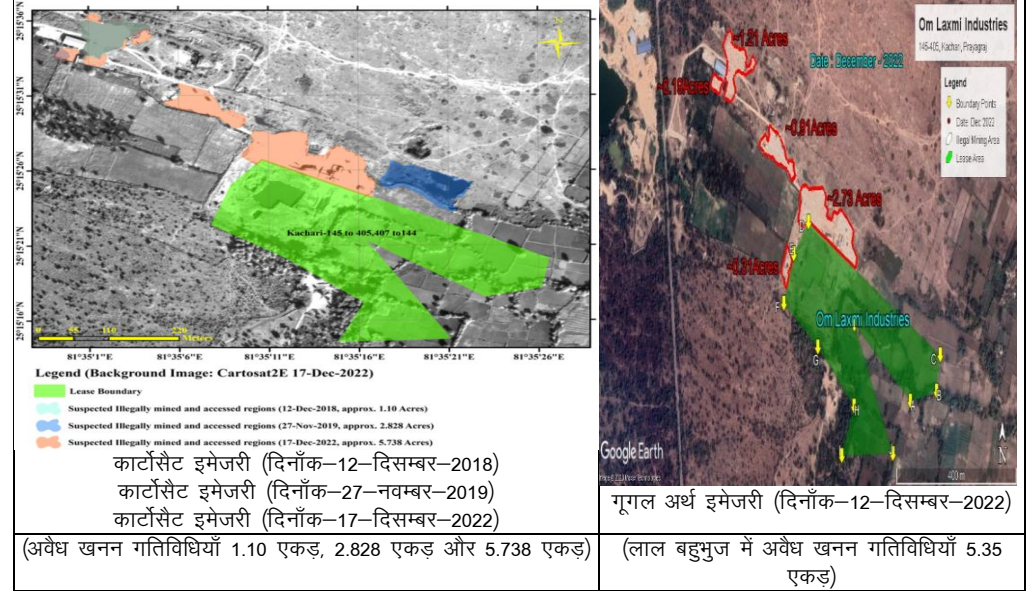
इस गांव में, इमेजरी में आठ पट्टे हैं जिनके चारों ओर अवैध रूप से खनन, अभिगमन और संदिग्ध क्षेत्रों को कार्टोसैट इमेजरी का उपयोग करके मैप किया गया है।



चित्र 4.10: कार्टोसैट इमेजरी से अवैध रूप से खनन और पहुँच वाले क्षेत्रों के मानचित्र (जून 2018 हरा 6.305 एकड़, नवम्बर 2019 नीला 12.956 एकड़, मार्च 2020 बैंगनी 13.051 एकड़, मार्च 2021 गुलाबी 26.60 एकड़, मार्च 2022 पीला 94.44 एकड़, जून 2022 लाल 134.899 एकड़)

लेखापरीक्षा ने चित्र 4.10 में कार्टोसैट इमेजरी से देखा कि जून 2018 में अवैध खनन क्षेत्र 6.305 एकड़ था जो मार्च 2019 में बढ़कर 12.956 एकड़, मार्च 2020 में 13.051 एकड़, मार्च 2021 में 26.60 एकड़, मार्च 2022 में 94.44 एकड़ और जून 2022 में 134.899 एकड़ हो गया।

ब. ओम लक्ष्मी इंडस्ट्रीज (कचारी 145-405, 20.5 एकड़), प्रयागराज

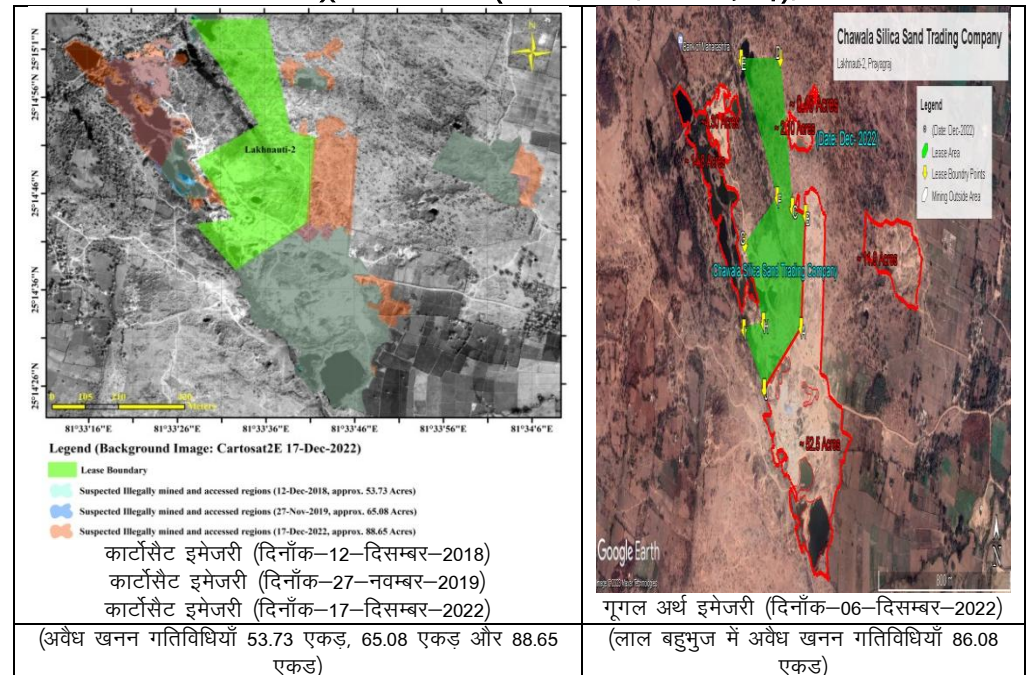


चित्र 4.11: ग्राम कचारी, प्रयागराज में अवैध खनन गतिविधि

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि खनन, आबंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा था। दिसम्बर 2018 से दिसम्बर 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगातार लगभग 1.10 एकड़ से बढ़कर लगभग 5.738 एकड़ हो गया।

इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि 12 दिसम्बर 2022 की गूगल अर्थ इमेजरी और 17 दिसम्बर 2022 की कार्टोसैट इमेजरी बहुत समान संदिग्ध अवैध खनन क्षेत्रों को दिखाती है, इस प्रकार परिणामों को तुलनीय कहा जा सकता है।

स. चावला सिलिका सैन्ड ट्रेडिंग कम्पनी (लखनौती-2, 41.6 एकड़), प्रयागराज

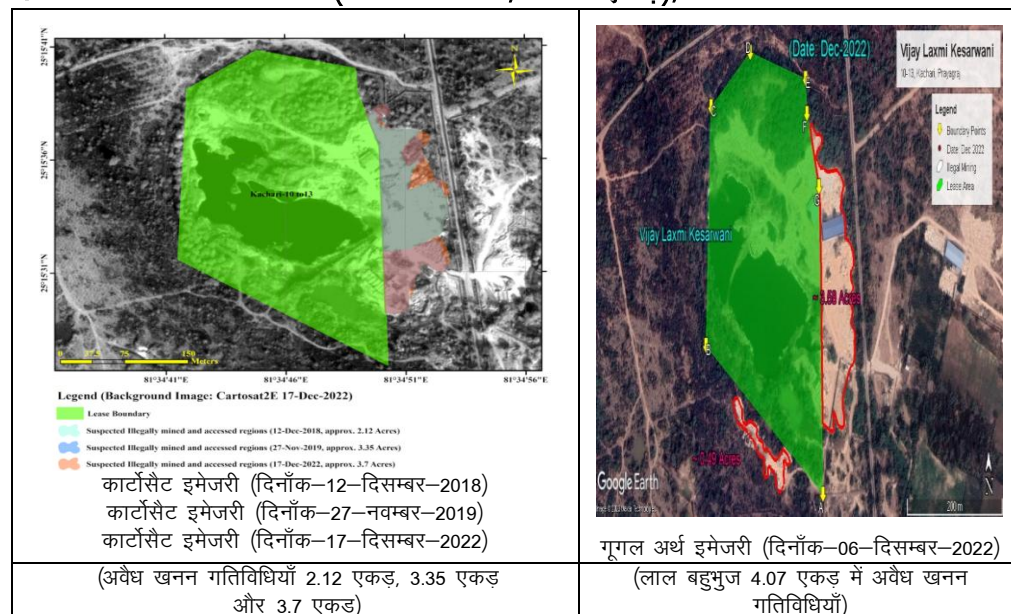


चित्र 4.12: ग्राम लखनौती, प्रयागराज में अवैध खनन गतिविधि

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी की उपरोक्त तस्वीरों से यह देखा जा सकता है कि दिसम्बर 2018 से दिसम्बर 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगभग 53.73 एकड़ से लगातार बढ़कर लगभग 88.65 एकड़ हो गया है।

यहाँ यह भी समझा जा सकता है कि 6 दिसम्बर 2022 की गूगल अर्थ इमेजरी और 17 दिसम्बर 2022 की कार्टोसैट इमेजरी संदिग्ध अवैध खनन क्षेत्रों को बहुत समान दिखाती है, इस प्रकार परिणामों को तुलनीय कहा जा सकता है।

द. विजय लक्ष्मी केसरवानी (कचारी 10-13, 18.9 एकड़), प्रयागराज

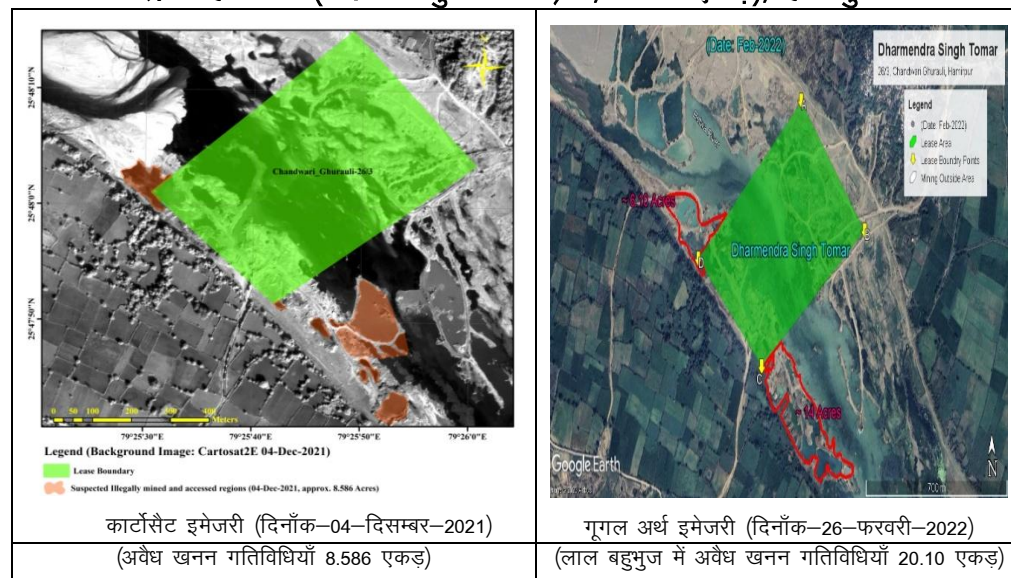


चित्र 4.13: ग्राम कचारी, प्रयागराज में अवैध खनन गतिविधि

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी की उपरोक्त तस्वीरों से यह देखा जा सकता है कि दिसम्बर 2018 से दिसम्बर 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगातार लगभग 2.12 एकड़ से लगभग 4.07 एकड़ तक बढ़ गया।

यहाँ यह भी समझा जा सकता है कि 06 दिसम्बर 2022 की गूगल अर्थ इमेजरी और 17 दिसम्बर 2022 की कार्टोसैट इमेजरी समान संदिग्ध अवैध खनन क्षेत्रों को दिखाती है, इस प्रकार परिणामों को तुलनीय कहा जा सकता है।

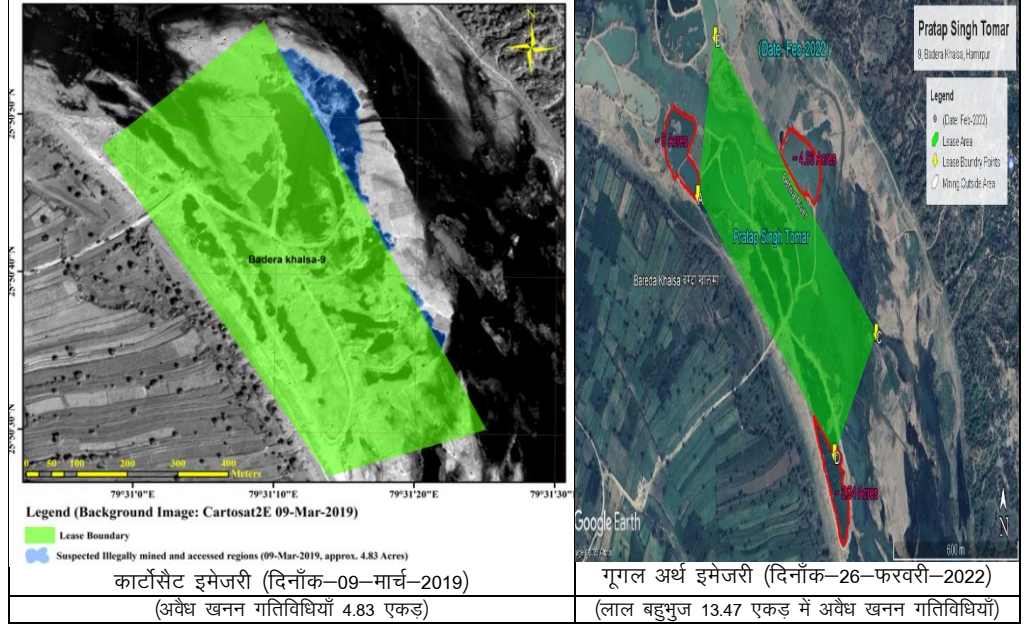
य. धर्मेन्द्र सिंह तोमर (चंदवारी-घुरौली-26/3, 60.02 एकड़), हमीरपुर



चित्र 4.14: ग्राम चंदवारी घुरौली, हमीरपुर में अवैध खनन गतिविधि

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि उत्खनन आवंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। दिसम्बर 2020 से फरवरी 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगभग 8.586 एकड़ से बढ़कर लगभग 20.10 एकड़ हो गया है।

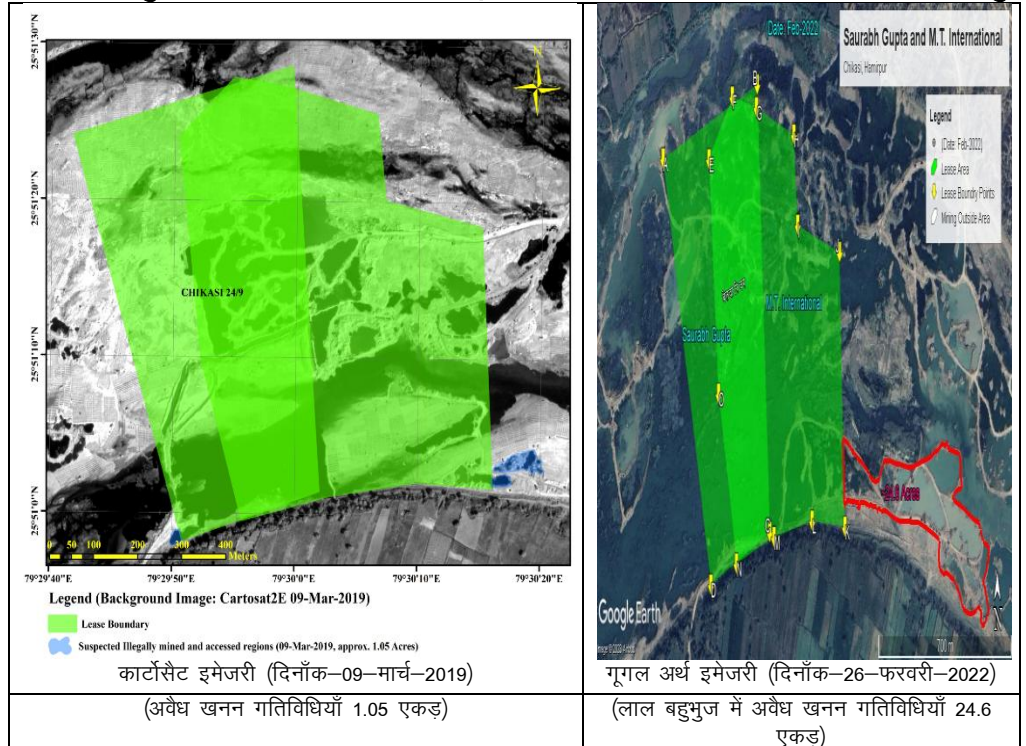
र. प्रताप सिंह तोमर (बडेरा खालसा-9, 60.02 एकड़), हमीरपुर



चित्र 4.15: ग्राम बडेरा खालसा, हमीरपुर में अवैध खनन गतिविधि

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि उत्खनन आवंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। मार्च 2019 से फरवरी 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगभग 4.83 एकड़ से बढ़कर लगभग 13.47 एकड़ हो गया है। सम्बन्धित जि०खा०अ० इस अनियमितता को नियन्त्रित करने में विफल रहे हैं।

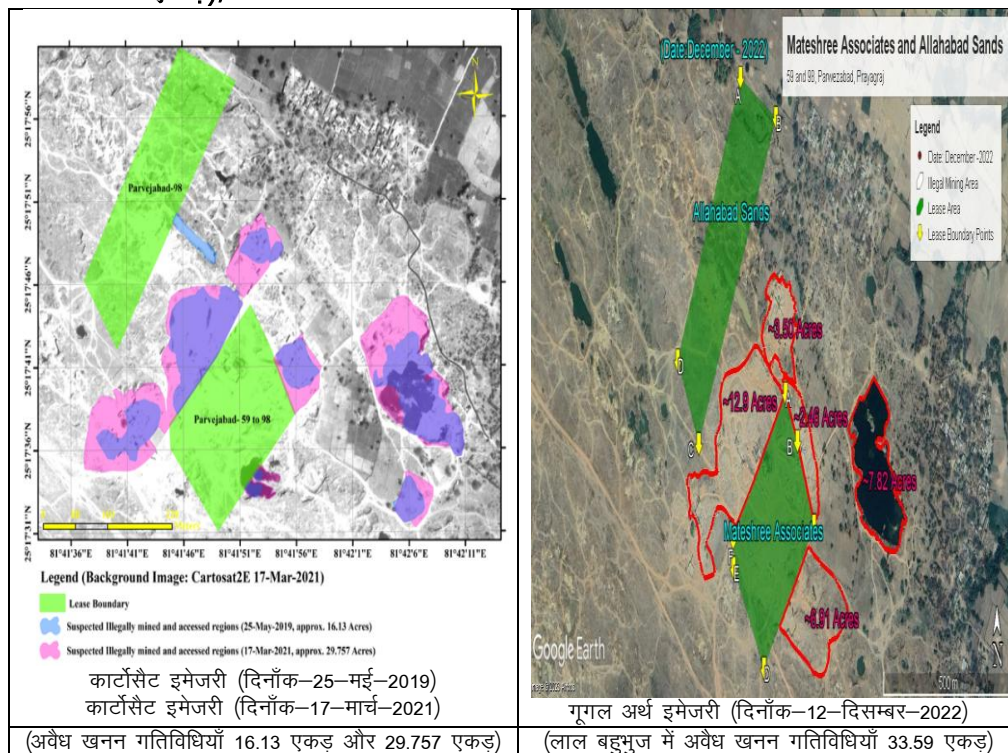
ल. सौरभ गुप्ता और एमटी इंटरनेशनल (चिकासी-24 / 9, 85.8 और 113 एकड़, हमीरपुर



चित्र 4.16: ग्राम चिकासी, हमीरपुर में अवैध खनन गतिविधि।

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि उत्खनन आवंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। मार्च 2019 से फरवरी 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगभग 1.05 एकड़ से बढ़कर लगभग 24.6 एकड़ हो गया है।

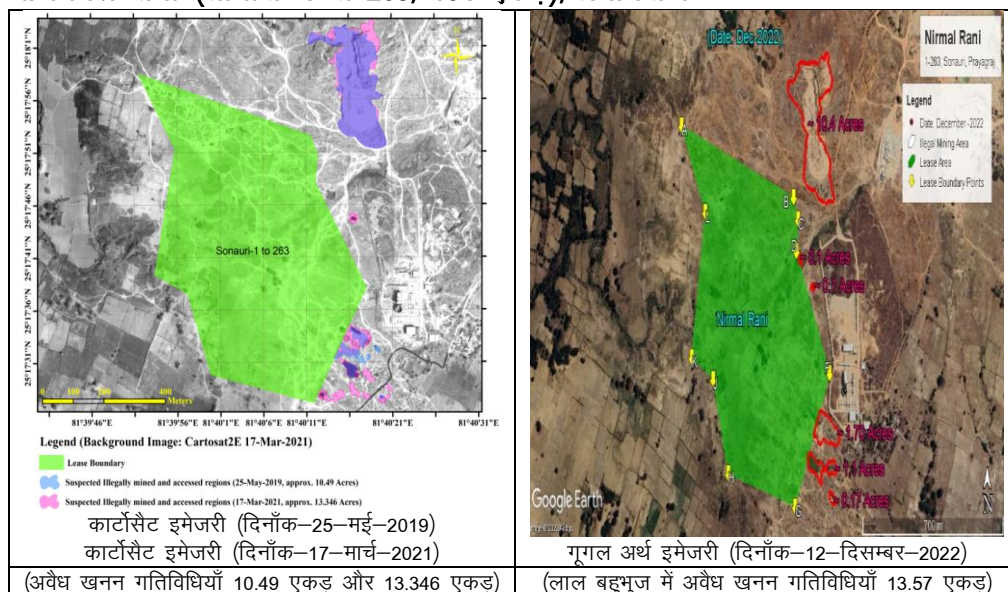
व. मातेश्री एसोसिएट्स और इलाहाबाद सैन्ड्स (परवेज़ाबाद-59 और 98, 16.4 और 18.5 एकड़), प्रयागराज



चित्र 4.17: ग्राम परवेज़ाबाद, प्रयागराज में अवैध खनन गतिविधि।

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि उत्खनन आवंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। मार्च 2019 से दिसम्बर 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगातार लगभग 16.13 एकड़ से बढ़कर लगभग 32.14 एकड़ हो गया है।

च. निर्मल रानी (सोनौरी-1 से 263, 104 एकड़), प्रयागराज



चित्र 4.18: ग्राम सोनौरी, प्रयागराज में अवैध खनन गतिविधि।

कार्टोसैट इमेजरी और गूगल अर्थ इमेजरी के उपरोक्त चित्रों से यह देखा जा सकता है कि उत्खनन आवंटित पट्टा क्षेत्र के बाहर किया जा रहा है। मई 2019 से दिसम्बर 2022 तक संदिग्ध अवैध खनन लगातार लगभग 10.49 एकड़ से बढ़कर लगभग 13.62 एकड़ हो गया है।

उपरोक्त उदाहरणों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में लगातार अवैध रूप से खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। सम्बन्धित जि०खा०अ० अवैध खनन पर नियन्त्रण लगाने में विफल रहे।

समापन गोष्ठी में शासन ने बिना पट्टा अनुमोदन के खनन और महत्वपूर्ण संरचनाओं, पुलों आदि के पास खनन के मामलों की जाँच करने का आश्वासन दिया। सरकार ने अन्तर-विभागीय और अन्तर-सरकारी (इसरो, गूगल और भारत सरकार) सहयोग से भी अवैध खनन के इस प्रकार के मामलों की जाँच के लिए उपग्रह इमेजरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में प्रयास करने का आश्वासन दिया।

संस्तुति:

7. सरकार संदिग्ध अवैध खनन गतिविधियों की शीघ्र पहचान करने के लिए रिमोट सेंसिंग और उन्नत सर्वेक्षण उपकरणों की सहायता से मानचित्रण और निगरानी प्रक्रिया को मजबूत कर सकती है जिससे प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सकता है।
8. सरकार खनिजों के अवैध उत्खनन के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिये सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकती है।

4.5 अवैध रूप से भण्डारित खनिजों की रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति नहीं वसूला जाना

उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के नियम 3 (1) में उपबन्धित है कि इन नियमावली के अन्तर्गत दिए गए भण्डारण लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अलावा बिक्री या उपभोग के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति खनिज की खरीद, कब्जे, भण्डारण, बिक्री, आपूर्ति, परिवहन, वितरण या बिक्री के लिए डिलीवरी, किसी भी स्थान पर खनिजों का प्रसंस्करण या अन्यथा किसी खनिज में आदान प्रदान का व्यवसाय नहीं करेगा। नियम 13 (1) में प्रावधान है कि जो कोई भी इस नियमावली के नियम 3 का उल्लंघन करता पाया गया तो जिलाधिकारी ₹ 5,00,000 (पाँच लाख) तक की शास्ति और रायल्टी सहित ऐसे खनिज का मूल्य वसूल करेगा।

लेखापरीक्षा ने तीन जि०खा०का० में देखा कि तीन लाइसेंसधारियों को खनिजों के भण्डारण के लिए भण्डारण लाइसेंस मिला था। लाइसेंस धारकों ने उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए 2,944 घन मीटर खनिज का अवैध भण्डारण किया। सम्बन्धित जि०खा०अ० ने मई 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच ₹ 34.80 लाख की रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति लगाया। सम्बन्धित जि०खा०अ० ने एक से तीन साल बीत जाने के बाद भी ₹ 34.80 लाख की शेष राशि की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया। विवरण तालिका-4.5 में दिया गया है।

तालिका 4.5
अवैध रूप से भण्डारित खनिजों के लिए रायल्टी, खनिज का मूल्य और शास्ति

इकाई का नाम	लाइसेंस धारक का नाम	भण्डारण हेतु स्वीकृत मात्रा (घन मीटर में)	अवैध रूप से भण्डारित खनिज की मात्रा (घन मीटर में)	अधिरूपित रायल्टी (₹ में)	अधिरूपित खनिज मूल्य (₹ में)	अधिरूपित शास्ति (₹ में)
जि०खा०अ० चित्रकूट	महावीर ग्रेनाइट (गिट्टी), गाटा सं. 757घ, 785 आदि, क्षेत्रफल-1.260 हेक्टेयर, ग्राम-गोण्डा, तहसील-कर्वी	20,000	2,169	3,47,040 (जमा नहीं किया गया)	17,35,200 (जमा नहीं किया गया)	5,00,000 (जमा नहीं किया गया)
जि०खा०अ० बाँदा	श्री शिव मोहन सिंह (मोरम), गाटा संख्या-890, क्षेत्रफल-0.875 हेक्टेयर, ग्राम-छपार, तहसील-बाँदा	15,000	775	1,16,250 (जमा नहीं किया गया)	5,81,250 (जमा नहीं किया गया)	2,00,000 (जमा नहीं किया गया)
योग			2,944	4,63,290	23,16,450	7,00,000

अग्रेतर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्री प्रेम चन्द्र केशरवानी के मामले में, जि०खा०अ० कौशाम्बी ने 4 जुलाई 2020 को निरीक्षण किया और 1,720 घन मीटर के अतिरिक्त भण्डारण का उल्लेख किया। हालाँकि, 6 जुलाई 2020 को लेखपाल, तहसीलदार, जि०खा०अ० और एसडीएम की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में 2,060 घन मीटर अतिरिक्त भण्डारण का उल्लेख किया गया था। सम्बन्धित जि०खा०अ० ने 2,060 घन मीटर की जगह 1,720 घन मीटर पर रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति आरोपित किया। लाइसेंस धारक ने रायल्टी, खनिज मूल्य और आरोपित की गयी शास्ति के लिए ₹ 20.48 लाख जमा किए। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट⁷² के आधार पर सम्बन्धित जि०खा०अ० ने 340 (2,060-1,720) घन मीटर खनिज के लिए रायल्टी, खनिज मूल्य और शास्ति की राशि ₹ 3.06 लाख की वसूली के लिए कोई नोटिस नहीं भेजा।

लेखापरीक्षा ने श्री शिव मोहन सिंह के मामले में पाया कि 31 मार्च 2023 को लेखापरीक्षा के उद्घरण पर ₹ 8.97 लाख की वसूली की गई है।

इस प्रकार, कुल ₹ 37.86 लाख के विरुद्ध एक लाइसेंसधारी द्वारा मात्र ₹ 8.97 लाख जमा किया गया। उपरोक्त प्रकरणों में रायल्टी, खनिज मूल्य एवं शास्ति की वसूली नहीं होने से शासन को ₹ 28.89 लाख के राजस्व से वंचित होना पड़ा।

समापन गोष्ठी में सरकार ने अवैध रूप से भण्डारित खनिजों के मामलों में देय राशि की वसूली का आश्वासन दिया।

4.6 ई-एमएम-11 प्रपत्र के डेटा के विश्लेषण से प्राप्त अनियमितताएँ

उ०प्र०उ०ख०प० नियमावली, 1963 का नियम 70 खनिज के परिवहन के प्रतिषेध का प्रावधान करता है। नियम 70(1) के अनुसार, पट्टा या परमिट धारक या इसके लिए उसके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन, मवेशी या परिवहन के किसी भी साधन से खनिज परिवहन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फार्म ई-एमएम-11 प्रपत्र निर्गत कर सकता है। नियम 70(2) के अनुसार, कोई व्यक्ति उप नियम 70(1) के अन्तर्गत जारी ई-एमएम-11 प्रपत्र के बिना राज्य में किसी भी वाहन, मवेशी या परिवहन के किसी भी साधन से किसी उपखनिज का परिवहन नहीं करेगा।

लेखापरीक्षा ने टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर के उपयोग से विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 17 जि०खा०का० के 1,21,83,652 ई-एमएम-11 प्रपत्र के डम्प डेटा का विश्लेषण किया। विश्लेषण से पाई गई अनियमितताओं का वर्णन आगामी प्रस्तारों में किया गया है:

⁷² जिला अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गये भण्डारण परिसर के निरीक्षण की रिपोर्ट।

4.6.1 ई-एमएम-11 प्रपत्र जारी करने में विसंगति

लेखापरीक्षा ने ई-एमएम-11 प्रपत्रों के डेटाबेस की जाँच किया और 17 जि०खा०का०⁷³ में देखा कि पट्टाधारकों ने 40,67,762 ई-एमएम-11 प्रपत्रों में 46,409 वाहनों के लिए एक ही वाहन संख्या की अलग-अलग क्षमता/प्रकार दिखाई, जिससे 5.96 करोड़ घन मीटर खनिजों का परिवहन हुआ। पट्टाधारकों ने ई-एमएम-11 प्रपत्र तैयार करते समय खनिजों की अलग-अलग मात्रा दर्शाते हुए एक ही वाहन को दो से नौ श्रेणी में अंकित किया। एक वाहन में केवल एक ही क्षमता/प्रकार हो सकता है। प्रणाली में भी कोई जाँच उपलब्ध नहीं थी। हालाँकि इस तरह का वाहन डेटा सिस्टम में उपलब्ध था, लेकिन इस अनियमितता पर न तो ध्यान दिया गया और न ही सम्बन्धित जि०खा०अ० द्वारा कोई कार्यवाही की गई। विवरण परिशिष्ट-XXIII में दर्शाया गया है।

एक ही वाहन नम्बर की अलग-अलग क्षमता दर्शाने वाले ई-एमएम-11 प्रपत्र जारी करने के उदाहरण तालिका-4.6 में दिए गए हैं।

तालिका 4.6
ई-एमएम-11 प्रपत्र जारी करने के उदाहरणात्मक मामले

क्र.सं.	ईएमएम-11 प्रपत्र का विवरण					परिवहित मात्रा (घन मीटर में)
	प्रपत्र संख्या	दिनांक	समय	वाहन संख्या	ट्रक का प्रकार	
1	31452012039400031	17.08.2020	01:29:05	UP15DT6902	22 टायर	30
2	31452012039400032	उपरोक्त	01:34:05	उपरोक्त	10 टायर	12
3	31452012039400053	22-08-2020	12:43:20	RJ52GB2656	22 टायर	30
4	31452012039400054	उपरोक्त	12:47:20	उपरोक्त	06 टायर	10
5	31452012039400086	25-08-2020	16:04:56	UP72AT3193	18 टायर	30
6	31452012039400087	उपरोक्त	16:10:16	उपरोक्त	मिनी ट्रक	5
7	31452012039400095	26-08-2020	13:43:17	UK18CA8090	22 टायर	30
8	31452012039400096	उपरोक्त	13:46:56	उपरोक्त	06 टायर	10

उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है कि वाहन संख्या UP15DT6902 को 22 टायरों एवं 10 टायरों में दर्शाया गया है, UP72AT3193 को 18 टायरों एवं मिनी ट्रक के रूप में दिखाया गया है और UK18CA8090 को 22 टायरों एवं 06 टायरों के रूप में अलग-अलग ई-एमएम-11 प्रपत्र में अलग-अलग मात्रा का उल्लेख करते हुए दिखाया गया है जो तीन से छह मिनट तक के समय अन्तराल पर सृजित किये गये हैं। इससे पता चलता है कि पट्टाधारकों ने अवैध रूप से खनिजों के परिवहन के लिए वाहनों में अधिक लदान के लिए वाहनों के प्रकार में हेरफेर किया। सम्बन्धित जि०खा०अ० को भी यह अनियमितता संज्ञान में नहीं आयी।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान में, विभाग पोर्टल पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के VAHAN एपीआई का उपयोग कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार केवल पंजीकृत श्रेणी के वाहनों पर ही ई-ट्रान्जिट पास जारी किया जा सके।

⁷³ बागपत, बाँदा, बुलन्दशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी. नगर, हमीरपुर, जे.पी. नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थ नगर और सोनभद्र।

4.6.2 अनुमन्य समय सीमा से परे खनिजों का परिवहन

एसएसएमएमजी, 2016⁷⁴ के अनुसार बालू खनन कार्य प्रातः 6:00 बजे से सायं 7:00 बजे के बीच किया जाएगा। बालू खनन के लिये प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश (ईएमजीएसएम) 2020 में भी यह निर्धारित किया गया है कि रात्रि के समय कोई भी बालू परिवहन वाहन खदान/डिपो के अन्दर खड़ा नहीं किया जायेगा। इसके अलावा, पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र (प0म0) के नियम और शर्तें भी सामग्री⁷⁵ के परिवहन को केवल दिन के समय तक सीमित करती हैं।

विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-एमएम-11 प्रपत्रों के डेटा के विश्लेषण से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 17 जि0खा0का0⁷⁶ में 2,900 पट्टाधारकों द्वारा 1,21,83,652 ई-एमएम-11 प्रपत्र निर्गत किए गए थे और जिसमें से 39,63,378 ई-एमएम-11 प्रपत्र 2,771 पट्टाधारकों द्वारा रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे के मध्य 5,48,15,474 घन मीटर खनिज के परिवहन हेतु निर्गत किये गये। इसके अलावा, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 65,16,080 घन मीटर खनिजों के परिवहन के लिये रात्रि 8 बजे या उसके बाद 5,99,791 ट्रान्जिट पास निर्गत किये गए और इन ट्रान्जिट पासों की वैधता (जो खनिज के उद्गम स्थान और गन्तव्य स्थान के बीच की दूरी पर निर्भर करती है) अगले दिनांक को प्रातः 5:00 बजे या उससे पहले समाप्त हो गयी। इससे पता चलता है कि खनिजों का परिवहन रात्रि में किया गया था।

उपरोक्त दिशानिर्देशों/नियमों और शर्तों का उल्लंघन करके रात्रि के समय में खनिज का लदान और परिवहन, कई रात्रिचर, तटवर्ती वनस्पतियों और जीवों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। सम्बन्धित जि0खा0अ0 और प0म0 जारी करने वाले प्राधिकारी ने न तो इस अनियमितता का संज्ञान लिया और न ही रात्रि में ई-एमएम-11 प्रपत्र जारी करने और खनिजों के परिवहन को रोकने के लिए कोई कार्यवाही प्रारम्भ की। विवरण परिशिष्ट-XXIV में दर्शाया गया है।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में कहा कि प0म0 की शर्तों के अनुसार, नदी तल में स्थित खनन क्षेत्रों में रात्रि में खनन कार्य बंद रहता है। दिन के समय खनन कर खनिज को खनन क्षेत्र में एकत्र किया जाता है। सायं के बाद लदान और परिवहन पर कोई रोक नहीं है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प0म0 की शर्तों के अनुसार खनिजों का परिवहन केवल दिन के समय तक ही सीमित रहेगा और यह एसएसएमएमजी, 2016 का भी उल्लंघन था जहाँ बालू खनन कार्य सायं 7:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे के मध्य प्रतिबन्धित है।

4.6.3 अनुमन्य मात्रा से अधिक खनिजों का परिवहन

डीजीएम ने अपने आदेश सं0 1844 दिनांक 16 फरवरी 2004 एवं उसके बाद के आदेश सं0 1225 दिनांक 24 अक्टूबर 2019 द्वारा प्रत्येक प्रकार के वाहन से लदान एवं परिवहन के लिए खनिजों की मात्रा निर्धारित की है जिसका विवरण नीचे तालिका-4.7 में दिया गया है।

⁷⁴ सतत रेत प्रबन्धन दिशानिर्देश 2016।

⁷⁵ बजरी, ग्रेनाइट, रेत, मोरम, लाल मोरम, बलुआ पत्थर और आरबीएम।

⁷⁶ बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

तालिका 4.7
लदान एवं परिवहन हेतु खनिजों की मात्रा

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	अनुमन्य मात्रा	
		टन में	घन मीटर में
1	6 टायर ट्रक	12.5	7
2	10 टायर ट्रक	18.0	11
3	12 टायर ट्रक	24.0	14
4	14 टायर ट्रक	30.0	18
5	16 टायर ट्रक ⁷⁷	34.0	20
6	18 टायर ट्रक	34.0	20
7	22 टायर ट्रक	38.0	23
8	ट्रैक्टर (ग्रेनाइट)	4.5	2.16
9	ट्रैक्टर (डोलोस्टोन)	4.5	2.01
10	ट्रैक्टर (बलुआ पत्थर)	4.5	2.64
11	ट्रैक्टर (बालू/मोरम)	4.5	2.25
12	ट्रैक्टर (सिलिका सैंड)	4.5	1.87

लेखापरीक्षा ने ई-एमएम-11 प्रपत्रों के डेटाबेस की जाँच किया और 17 जि०खा०का०⁷⁸ में देखा कि पट्टाधारकों ने 1.87 घन मीटर से 23 घन मीटर तक की अनुमन्य मात्रा की तुलना में 3 घन मीटर से 410 घन मीटर के बीच खनिजों का परिवहन किया। 30,62,674 ई-एमएम-11 प्रपत्रों से 2,91,96,581 घन मीटर की अनुमन्य मात्रा के विरुद्ध 3,61,89,677 घन मीटर खनिज का परिवहन किया गया। इस प्रकार पट्टाधारकों ने 69,93,096 घन मीटर अतिरिक्त खनिज का परिवहन ओवरलोड वाहनों से किया। विवरण परिशिष्ट-XXV में दिखाया गया है।

अधिक लदान, बहुमूल्य सड़क के आधारभूत ढाँचे को बुरी तरह से नुकसान पहुँचाता है और सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या का एक प्रमुख कारण है। पट्टाधारकों द्वारा लगातार की जा रही इस अनियमितता को रोकने के लिए विभाग, प्रणाली से मिली सूचना का उपयोग नहीं कर सका।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान में, विभाग विभागीय पोर्टल पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के VAHAN एपीआई का उपयोग कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार केवल पंजीकृत श्रेणी के वाहनों के लिए ई-ट्रान्जिट पास जारी किया जा सके।

4.6.4 खनिज परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन में अनियमितता

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2(14) के अनुसार माल वाहन का तात्पर्य केवल माल की ढुलाई के लिए निर्मित या अपनाया गया कोई भी मोटर वाहन है। केन्द्र सरकार ने अपनी अधिसूचना एस०ओ० 1248(ई), दिनांक 5 नवम्बर, 2004 में, नीचे बताये गये मोटर वाहनों के प्रकार को गैर-परिवहन वाहनों के रूप में निर्दिष्ट किया है:

- 1- व्यक्तिगत उपयोग के लिए साइड कार के साथ या उसके बिना मोटर साइकिल
- 2- मोपेड और मोटर चालित साइकिल
- 3- अमान्य गाड़ी

⁷⁷ इस प्रकार का वाहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-एमएम-11 के डेटा डम्प में उपलब्ध था, लेकिन बताए गए आदेशों में मौजूद नहीं था, इसलिए लेखापरीक्षा ने इसकी क्षमता को उच्च स्तर यानी 18 टायर ट्रक क्षमता पर लिया है।

⁷⁸ बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

- 4- व्यक्तिगत उपयोग हेतु तीन पहिया वाहन
- 5- मोटर कार
- 6- रिंग, जनरेटर, कंप्रेसर जैसे उपकरणों से सुसज्जित वाहन या ट्रेलर
- 7- क्रेन जड़ित वाहन
- 8- कृषि ट्रैक्टर
- 9- किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत निजी सेवा वाहन
- 10- कैम्पर वैन या ट्रेलर
- 11- टो ट्रक, ब्रेकडाउन वैन और रिकवरी वाहन
- 12- टावर वैगन
- 13- निर्माण उपकरण वाहन

इसके अलावा तीन पहिया वाहन, एम्बुलेंस, लक्जरी कैब, ओमनी बस और शैक्षणिक संस्थानों की बसें यात्रियों के परिवहन के लिए हैं और माल वाहन नहीं हैं।

4.6.4.1 कृषि ट्रैक्टरों द्वारा खनिज का परिवहन

लेखापरीक्षा ने 17 जि०खा०का०⁷⁹ के ई-एमएम-11 डेटाबेस की जाँच की और देखा कि खनिजों का परिवहन कृषि ट्रैक्टरों द्वारा किया गया था। परिवहन विभाग के वाहन डेटाबेस से परि-सत्यापन से पता चला कि 17 जिलों में खनिजों के परिवहन के लिए 28,646 कृषि ट्रैक्टरों का उपयोग करके 7,88,059 ट्रान्जिट पास (ई-एमएम-11 प्रपत्र) सृजित किये गए थे।

अग्रेतर, सम्बन्धित ई-ट्रान्जिट पास की जाँच में यह भी पाया गया कि ऐसे वाहनों का उपयोग एक दिन में एक से 47 बार खनिज परिवहन में किया गया था।

कृषि ट्रैक्टरों का उपयोग केवल कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है। कृषि ट्रैक्टरों से खनिजों के परिवहन को रोकने के लिए विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। वाहन के प्रकार को स्वचालित रूप से पहचानने के लिए ई-एमएम-11 प्रपत्र सृजित करते समय कोई सत्यापन नियन्त्रण मौजूद नहीं था, हालाँकि वाहन डेटाबेस का एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) विभाग के पास उपलब्ध था।

4.6.4.2 खनिज के परिवहन के लिये अनुपयुक्त वाहनों का प्रयोग

लेखापरीक्षा ने 17 जि०खा०का०⁸⁰ के ई-एमएम-11 डेटाबेस की जाँच की और देखा कि खनिजों का परिवहन उन वाहनों द्वारा किया गया था जो खनिज परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं थे। परिवहन विभाग के वाहन डेटाबेस से परि-सत्यापन से पता चला कि खनिजों के परिवहन के लिए 17 जिलों में 83,156 अनुपयुक्त वाहनों जैसे एम्बुलेंस, अर्थ मूविंग उपकरण, ई-रिक्शा, मोटर कैब, स्कूटर/मोटरसाइकिल, आदि का उपयोग करके 1,81,113 ट्रान्जिट पास (ई-एमएम-11 प्रपत्र) निर्गत किये गए थे।

प्रतिदिन फेरों की संख्या के साथ खनिजों का परिवहन किए गए ऐसे वाहनों को **तालिका-4.8** में दिखाया गया है:

⁷⁹ बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

⁸⁰ बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

तालिका 4.8
खनिजों के परिवहन हेतु अनुपयुक्त वाहनों का प्रयोग किया जाना

वाहनों का प्रकार	वाहनों की संख्या	सृजित हुई एमएम-11 प्रपत्र की संख्या	परिवहन किये गये खनिज (घन मीटर में)	परिवहन किये गये खनिजों की रेंज (घन मीटर में)	प्रति दिन फेरों की संख्या
एम्बुलेंस/पशु एम्बुलेंस	407	767	11,809	3 से 30	1 से 12
बुलडोजर/निर्माण उपकरण वाहन/अर्थ मूविंग उपकरण/उत्खनक/रोड रोलर	1,621	3,291	47,240	3 से 30	1 से 21
बस	3,625	7,165	1,04,784	3 से 30	1 से 32
कैपर वैन/ट्रेलर/ट्रेलर (कृषि)/निजी सेवा वाहन	213	577	5,073	3 से 30	1 से 5
वाहन पर लगे क्रेन/फोर्क लिफ्ट	226	474	8,384	3 से 30	1 से 1
ई-रिक्शा / थ्री व्हीलर (यात्री)(3डब्लू टी)	29,525	61,204	9,23,682	3 से 30	1 से 57
फायर टेन्डर	11	17	148	3 से 15	1 से 2
शववाहन	9	56	485	6 से 16	1 से 4
एम-साइकिल/स्कूटर(2डब्लू एन)/स्कूटर साइड कार/मोटर चालित साइकिल	34,742	79,420	4,44,307	3 से 30	1 से 42
मोटर कार/मोटर कैब/मैक्सी कैब	12,763	28,116	3,66,811	3 से 30	1 से 122
कंप्रेसर/रिंग से सुसज्जित वाहन	14	26	440	5 से 26	1 से 4
योग	83,156	1,81,113	19,13,163	3 से 30	1 से 122

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि इन खनिजों के परिवहन के लिए अनुपयुक्त वाहनों का उपयोग प्रति दिन कई बार खनिजों को ले जाने में किया जाता था, जैसे तिपहिया वाहन 47 बार और मोटर कार 122 बार तक।

वाहनों के वर्गीकरण के अनुसार ये वाहन खनिजों के परिवहन के लिए नहीं थे। इसलिए यह माना जा सकता है कि इन वाहनों से खनिजों का परिवहन नहीं किया गया था। इस प्रथा का उपयोग खनिजों के अधिक लदान को वैध बनाने के लिए किया जा सकता है। वाहन के प्रकार को स्वचालित रूप से अंकित करने के लिए ई-एमएम-11 प्रपत्र सृजन में कोई सत्यापन नियन्त्रण मौजूद नहीं था, हालाँकि वाहन डेटाबेस का एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) विभाग के पास उपलब्ध था।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि पट्टाधारक वास्तविक आशय के बिना ई-ट्रान्जिट का सृजन कर रहे थे, जिससे खनिजों का अवैध परिवहन हो रहा था। डीजीएम इन गतिविधियों की पर्याप्त निगरानी करने और रोकने में विफल रहे।

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा कि वर्तमान में, विभाग, विभागीय पोर्टल पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के VAHAN एपीआई का उपयोग कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार केवल पंजीकृत श्रेणी के वाहनों के लिए ई-ट्रान्जिट पास निर्गत किया जा सके।

4.6.4.3 अपात्र/नकली पंजीयन क्रमांक वाले वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन

केन्द्र सरकार ने अपनी अधिसूचना एस0ओ0 444(ई), दिनांक 12 जून, 1989 द्वारा राज्यों को प्रत्येक राज्य के लिए पंजीकरण चिन्ह के रूप में अक्षरों के समूह को आवंटित किया, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाने वाले पंजीकरण प्राधिकारी की कोड संख्या का उपयोग किया जाना था जो चार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब चार अंक 9999 तक पहुँचते हैं, तो अगली श्रृंखला वर्णमाला 'A' से शुरू होगी जिसके बाद चार से अधिक अंक नहीं होंगे और उसके बाद वर्णमाला 'B' के साथ चार से अधिक अंक नहीं होंगे और इसी तरह आबंटन किया जायेगा जब तक सभी अक्षर समाप्त नहीं हो

जाते ('I' और 'O' को छोड़कर)। वाहनों के पंजीकरण नम्बरों में केवल अल्फ़ान्यूमेरिक यानी अक्षर और अंक शामिल होते हैं।

लेखापरीक्षा ने ई-एमएम-11 प्रपत्रों के डेटाबेस की जाँच किया और 17 जि०खा०का०⁸¹ में देखा कि पट्टाधारकों ने नकली पंजीकरण संख्या वाले 85,928 वाहनों का उपयोग करके 24,51,021 घन मीटर खनिजों के परिवहन के लिए 4,48,637 ई-एमएम-11 प्रपत्र सृजित किए हालाँकि ये वाहन नम्बर डेटाबेस पर उपलब्ध नहीं थे। विवरण तालिका-4.9 में दिखाया गया है।

तालिका 4.9
अपात्र नम्बरों वाले वाहनों का विवरण

क्रमांक	विवरण	वाहनों की संख्या	सृजित ईएमएम-11 प्रपत्र की संख्या	खनिज मात्रा (घन मीटर में)
1	07 अंक/अक्षर से कम पंजीकरण संख्या दर्शाने वाले वाहन	3,883	1,36,782	4,83,237
2	केवल अंकीय पंजीकरण संख्या दिखाने वाले वाहन	765	1,990	10,195
3	अन्य अमान्य वाहन नम्बर जिनकी सूचना वाहन डेटाबेस पर उपलब्ध नहीं है	81,280	3,09,865	19,57,589
योग		85,928	4,48,637	24,51,021

विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2023) में कहा कि खनिजों के परिवहन के लिए ई-ट्रान्जिट पास, पट्टाधारक/परमिट धारक/भण्डारण लाइसेंस धारक द्वारा वाहन चालकों/मालिकों द्वारा उल्लिखित वाहन संख्या के आधार पर जारी किया जाता है। प्रणाली में वाहन संख्या की सत्यता को सत्यापित करने के लिए तन्त्र, उपलब्ध नहीं था। वर्तमान में, VAHAN एपीआई को पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने सत्यापन के लिए एपीआई का उपयोग नहीं किया था क्योंकि ये विसंगतियाँ लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान निर्गत किए गए ई-एमएम-11 में पाई गई थीं।

4.6.5 गंतव्य की दूरी में हेर फेर

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार एक जिले के भीतर स्थानीय दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। हालाँकि, राज्य में एक जिले से दूसरे जिले के बीच अधिकतम दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने जिले के भीतर अधिकतम दूरी 200 किलोमीटर और दो जिलों के बीच अधिकतम दूरी 1200 किलोमीटर मानकर गूगल अर्थ प्रो के साथ दूरियों का अनुमान लगाया है।

लेखापरीक्षा ने ई-एमएम-11 डेटाबेस की जाँच किया और 17 जि०खा०का०⁸² में देखा कि ई-एमएम-11 प्रपत्र में उल्लिखित दूरी या तो जिले के भीतर या राज्य के भीतर अन्य जिले में परिवहन की गई वास्तविक दूरी से बहुत अधिक थी। यह जिलों के अन्दर 39,38,683 घन मीटर खनिजों के परिवहन के लिए सृजित 2,94,795 ई-एमएम-11 प्रपत्र में 201 किमी से 1,02,31,208 किमी और अन्य जिलों में 1,72,806 घनमीटर खनिज के परिवहन हेतु सृजित 11,633 ई-एमएम-11 प्रपत्र में 1,202 किमी से 1,00,00,000 किमी के बीच था। अधिक दूरी जोड़ने से, समय में वृद्धि के कारण, एक ही भुगतान में एक ही ई-एमएम-11 प्रपत्र को कई बार पुनर्प्रयोग करने के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है। सम्बन्धित जि०खा०अ० ने इन अनियमितताओं पर ध्यान नहीं दिया। विवरण परिशिष्ट-XXVI में दिखाया गया है।

⁸¹ बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

⁸² बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि 30 सितम्बर, 2022 से विभागीय पोर्टल पर दूरी मैट्रिक्स लागू किया गया है जिसमें एक जिले से दूसरे गंतव्य जिले की दूरी की गणना पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से की जाती है।

तथ्य यह है कि ई-एमएम-11 प्रपत्र सृजित करते समय, पट्टाधारकों ने लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान लगातार खनिजों के परिवहन के लिए दो स्थानों के बीच अवास्तविक दूरी दर्ज की थी।

4.6.6 निषिद्ध माह में खनिजों का उत्खनन/परिवहन

एसएसएमएमजी, 2016 के अनुसार, बरसात के मौसम में नदी से बालू खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने अपने आदेश संख्या 1955 दिनांक 20 अगस्त 2019 द्वारा निर्देश दिया कि निषिद्ध महीनों अर्थात् जुलाई, अगस्त और सितम्बर में बालू/मोरम का उत्खनन/परिवहन नहीं किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच किये 17 जि०खा०का०⁸³ के ई-एमएम-11 प्रपत्रों के डेटा की जाँच की और देखा⁸⁴ कि 11 जि०खा०का०⁸⁵ में, 144 पट्टाधारकों ने बालू/मोरम हेतु परिवहन के लिए जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीने में 3,39,957 घन मीटर की मात्रा के लिए 32,170 ई-एमएम-11 प्रपत्र जारी किए। सम्बन्धित जि०खा०अ० ने निषिद्ध महीनों में ई-एमएम-11 प्रपत्र सृजन को रोकने के लिए कार्यवाही नहीं की।

बालू एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है और यदि बालू का उत्खनन किया जाता है तो इससे प्रकृति को अपूरणीय क्षति होती है। पर्यावरण मंजूरी के साथ-साथ एसएसएमएम दिशानिर्देश, 2016 में यह विशेष रूप से बताया गया था कि मानसून के मौसम में कोई खनन गतिविधि नहीं की जाएगी। निषिद्ध महीनों में अवैध खनन के कारण पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का खतरा है।

विवरण परिशिष्ट-XXVII में दिखाया गया है। विभाग उपरोक्त सरकारी आदेश का अनुपालन करने में विफल रहा।

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि निषिद्ध महीनों के दौरान कृषि परमिट का संचालन बाधित नहीं होता है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा प्रेक्षण कृषि परमिट पर नहीं है बल्कि यह बालू और मोरम जैसे खनिजों के लिए है जिनका उत्खनन अनुमोदित खनन पट्टा/परमिट धारकों द्वारा मानसून के मौसम में किया गया था।

संस्तुति:

9. सरकार विभागीय पोर्टल में उचित नियन्त्रण सक्षम कर सकती है और ई-एमएम-11 प्रपत्र सृजित करने में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम करने के लिये वाहन डेटाबेस से जोड़ सकती है तथा खनिजों के परिवहन के लिये अनुपयुक्त वाहनों, अनुमन्य मात्रा से अधिक खनिजों के परिवहन, अवास्तविक दूरी तथा निषिद्ध महीनों में खनिजों के परिवहन के लिये ई-एमएम-11 प्रपत्र सृजित करने से रोका जा सके।

10. सरकार खनिजों के अधिक लदान और खनिजों के परिवहन के लिए अनुपयुक्त वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग और परिवहन विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर सकती है।

⁸³ बागपत, बाँदा, बुलंदशहर, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, जे.पी.नगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, संभल, शामली, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र।

⁸⁴ 21 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए।

⁸⁵ बाँदा, चित्रकूट, फतेहपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, कानपुर देहात, महोबा, प्रयागराज, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र।

4.7 पट्टा/परमिट प्राप्त किये बिना उत्खनन किये गये खनिजों पर रायल्टी एवं खनिज मूल्य की वसूली न करना

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 3 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र में ऐसे किसी उप खनिज का खनन कार्य नहीं करेगा, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, सिवाय इन नियमों के अन्तर्गत दिए गए खनन पट्टे या खनन परमिट के नियमों और शर्तों के अनुसार।

लेखापरीक्षा ने जिला खान अधिकारी, प्रयागराज के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि जि0खा0अ0 प्रयागराज द्वारा एक निरीक्षण किया गया था और रिपोर्ट दी गई थी कि मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट (नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन), कोहडार तहसील मेजा ने कुल 53,88,930 घन मीटर गिट्टी और बोल्टर (3,80,770 घन मीटर गिट्टी एवं 50,08,160 घन मीटर बोल्टर) का खनन किया एवं निर्माण कार्य में प्रयुक्त किया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने देखा कि जिलाधिकारी प्रयागराज ने महाप्रबन्धक मेजा थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कुल धनराशि ₹ 3,22,62,49,100 (रायल्टी की शेष राशि ₹ 51,27,45,600 और खनिज मूल्य ₹ 2,71,35,03,500) जमा करने के लिए दिनांक 22 सितम्बर 2018 को एक पत्र भेजा था क्योंकि खनन पट्टा/खनन परमिट प्राप्त किए बिना निर्माण कार्य में खनिजों का उपयोग किया गया था। यह पाया गया कि परियोजना द्वारा 8 जुलाई 2019 को ₹ 52,14,533, 23 अक्टूबर 2020 को ₹ 35,880 तथा 31 मार्च 2021 को ₹ 29,27,526 रायल्टी के रूप में जमा किये गये। लेखापरीक्षा की तिथि तक, विभाग रायल्टी और खनिज मूल्य की शेष धनराशि ₹ 321.81 करोड़ की वसूली नहीं कर सका। पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने इन देयों की वसूली के लिए न तो कोई कार्यवाही शुरू की और न ही कोई नोटिस या वसूली प्रमाण पत्र जारी किया। विभाग की लापरवाही के कारण सरकार को राजस्व से वंचित होना पड़ा।

समापन गोष्ठी में सरकार ने बताया कि डीजीएम द्वारा सम्बन्धित जिले से रिपोर्ट माँगी गयी है।

तथ्य यह है कि बिना पट्टा/परमिट प्राप्त किये खनिजों का उत्खनन एवं परिवहन किया गया तथा विभाग ने रायल्टी एवं खनिज मूल्य की शेष राशि की वसूली नहीं की।

4.8 खनन निगरानी प्रणाली प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाना

भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से खान मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2016 को देश में अवैध खनन गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने हेतु खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) प्रारम्भ की है। एमएसएस एक उपग्रह-आधारित निगरानी प्रणाली है जो मौजूदा खनन पट्टे की सीमा के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र की जाँच करती है ताकि अवैध खनन की सम्भावित किसी भी असामान्य गतिविधि का पता लगाया जा सके। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो उसे ट्रिगर के रूप में चिन्हित किया जाता है। खान मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों में उप खनिजों के लिए एमएसएस लागू करने की सलाह दी। इसके अलावा, खान मंत्रालय ने राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की और एमएसएस से उत्पन्न ट्रिगर सम्बन्धित राज्य सरकारों को भी भेजे गये।

लेखापरीक्षा ने डीजीएम के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि 11 जिलों⁸⁶ में एमएसएस के कार्यान्वयन के लिए डीजीएम में अगस्त 2017 में एमएसएस सेल की स्थापना की गई थी। एमएसएस सेल को खसरा नक्शा प्राप्त करना था, नक्शे की जियो-रेफरेंसिंग को डिजिटल बनाना था और उसे एमएसएस पोर्टल पर अपलोड करना था। कार्टोसेट मानचित्र की इमेज रीडिंग के माध्यम से संदिग्ध अवैध खनन क्षेत्रों की पहचान की जानी थी और ट्रिगर्स को क्षेत्र सत्यापन के लिए सम्बन्धित जिले में भेजा जाना था। सम्बन्धित जिलाधिकारी को क्षेत्र सत्यापन के बाद अपनी रिपोर्ट एमएसएस पोर्टल पर अपलोड करनी

⁸⁶ आगरा, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झाँसी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, प्रयागराज और सोनभद्र।

थी और नियमानुसार कार्यवाही करनी थी। डीजीएम ने 4 सितम्बर 2017 को इन जिलों के जि०खा०अ० को एमएसएस के कार्यान्वयन के लिए खनन पट्टों के संयुक्त मानचित्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

अग्रेतर, 18 अक्टूबर 2017 और 29 जनवरी 2018 को डीजीएम ने क्रमशः जि०खा०अ० सोनभद्र और जि०खा०अ० झाँसी को निर्देश दिया कि वे झाँसी जिले के ग्राम-हबूपुरा और करनपुरा और सोनभद्र जिले के ग्राम-बिल्ली मारकुंडी के पट्टा क्षेत्रों के बाहर उपग्रह छवि के आधार पर, संदिग्ध अवैध खनन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जवाब में जिलाधिकारी सोनभद्र ने संदिग्ध क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए एक अलग सर्वेक्षक की माँग की और जिलाधिकारी झाँसी ने सूचित किया कि इन क्षेत्रों में पुराने खनन गड्ढे थे जहाँ वर्तमान में कोई खनन गतिविधि नहीं की जा रही है। हालाँकि डीजीएम के पास ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला कि सोनभद्र समेत अन्य 10 जिलों से अवैध खनन की ऐसी रिपोर्ट भेजी गई हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने एमएसएस तो लागू किया लेकिन राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए इस प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया। एमएसएस से कुल 76 ट्रिगर प्राप्त किए गए हैं और इन्हें सम्बन्धित जिलों में आगे की कार्यवाही के लिए भेजा गया है। विभाग द्वारा की गई कार्यवाही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई। डीजीएम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एमएसएस वर्तमान में परिचालन में नहीं है और इसका कारण किसी अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। भारत सरकार के निर्देशों और सलाह के बावजूद डीजीएम एमएसएस का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहे। एमएसएस की गैर-परिचालन स्थिति के कारण, डीजीएम अवैध खनन से निपटने में प्रणाली का लाभ उठाने में असमर्थ रहा।

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2023) कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एमएसएस केवल प्रमुख खनिजों के लिए लागू था। उप खनिजों के निराकरण हेतु वर्ष 2020 में समानान्तर प्रणाली आईएमएसएस बनायी गयी, जो पूरे प्रदेश में लागू एवं अद्यतन है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए अवैध खनन के मामले 2020 के बाद की अवधि से भी सम्बन्धित हैं। विभाग एमएसएस के स्थान पर अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु आईएमएसएस का उपयोग करने में विफल रहा क्योंकि विभाग ने आनसाइट अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन निगरानी का उपयोग नहीं किया था। इस प्रकार आईएमएसएस का उपयोग केवल अवैध परिवहन की जाँच के लिए किया जा सका।

4.9 तकनीकी हस्तक्षेप के लिए उपकरण नहीं लगाया जाना

उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 (2017 से प्रभावी) के अनुसार, खनिजों के अवैध खनन/परिवहन को रोकने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के उपयोग में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए खनन पट्टाधारकों से खनिजों के उत्खनन पर देय रायल्टी के एक प्रतिशत के बराबर राशि उपकरण के रूप में वसूली जाएगी।

लेखापरीक्षा ने डीजीएम के अभिलेखों की जाँच की और पाया कि डीजीएम ने खनिजों के अवैध खनन/परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप के रूप में एमएसएस/आईएमएसएस⁸⁷ को लागू किया। तथापि विभाग ने इस पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए खनन पट्टाधारकों पर कोई उपकरण नहीं लगाया।

समापन गोष्ठी में सरकार ने स्वीकार किया कि उपकरण नहीं लगाया गया है और कहा गया कि उपकरण राशि के स्थान पर जि०ख०फा० से व्यय किया जा रहा है। हालाँकि,

⁸⁷ एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली को, अवैध खनन की शिकायत वाले क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी, खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों का पंजीकरण, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, और खान की निकासी पर पैन टिल्ट जूम (पीटी जेड) युक्त धर्म कांटा जैसी सुविधाओं और उनका स्टेट कमांड सेन्टर से एकीकरण के साथ लागू किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जि०ख०फा०ट्र० नियमावली में खनिजों के अवैध खनन/परिवहन को रोकने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप पर व्यय करने का कोई प्रावधान नहीं है।

4.10 ईट भट्ठों की स्थापना में गूगल अर्थ से देखी गई अनियमितताएं

उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना के लिए स्थल मानदण्ड) नियमावली, 2012 के नियम 2 के अनुसार, उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण, हानिकारक स्थापना और आवास योजना विनियमन अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अधीन, रहते हुये कोई ईट भट्ठा स्थापित नहीं किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है:

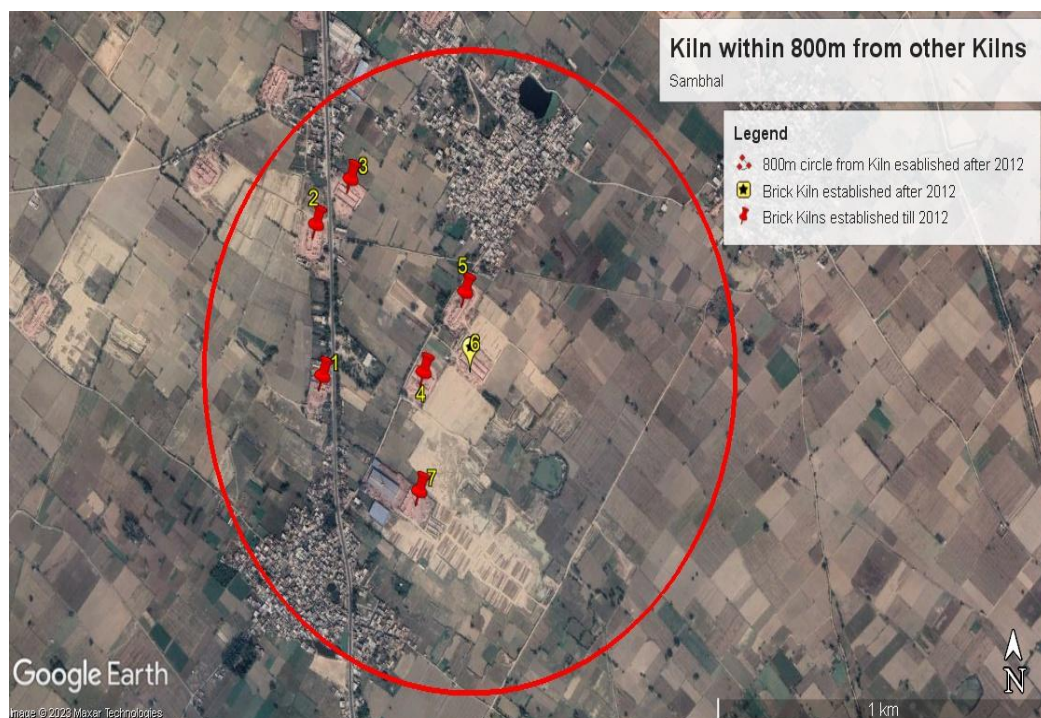
1. ईट भट्ठा, न्यूनतम 100 से 150 लोगों की आबादी या कच्चे और पक्के दोनों घरों सहित 20 घरों वाले आवासीय क्षेत्र से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर, 150 से अधिक आबादी या कच्चे और पक्के दोनों घरों सहित 20 घरों से अधिक वाले आवासीय क्षेत्र से 1.0 किमी दूर स्थापित किया जाएगा। हालाँकि, अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से दूरी 5.0 किमी होगी।
 2. ईट भट्ठों की दूरी, पंजीकृत अस्पताल, स्कूल, सार्वजनिक भवन, धार्मिक स्थान या ऐसे स्थान जहाँ ज्वलनशील पदार्थ रखे जाते हैं, से कम से कम 1.0 किमी होगी। चिड़ियाघर, वन्य जीवन अभयारण्य, ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालय आदि जैसे अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों के 5.0 किमी की परिधि में ईट भट्ठों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 3. बाग से 800 मीटर के अंदर ईट भट्ठे का निर्माण नहीं किया जाएगा।
 4. ईट भट्ठों का निर्माण राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग से सड़क के दोनों ओर कम से कम 300 मीटर की दूरी पर किया जाएगा।
 5. ईट भट्ठे का निर्माण मुख्य जिला सड़क/पीडब्ल्यूडी सड़कों के दोनों किनारों से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर किया जाएगा।
 6. यदि कोई नया ईट भट्ठा स्थापित किया जा रहा है तो किसी क्षेत्र में ईट भट्ठों के समूह से बचने के लिए दो ईट भट्ठों के बीच की दूरी 800 मीटर से कम नहीं होगी।
- लेखापरीक्षा ने गूगल अर्थ से ईट भट्ठों के 1,452 चयनित स्थलों की जाँच की और पाया कि ईट भट्ठा मालिकों द्वारा उपरोक्त नियमावली में दिए गए ईट भट्ठा की स्थापना मानदण्डों का पालन नहीं किया गया था। ईट भट्ठों की स्थापना के सम्बन्ध में मानदण्डों के उल्लंघन पर, गूगल अर्थ से प्राप्त सचित्र छवियों के साथ, आगामी प्रस्तारों में चर्चा की गई है।

4.10.1 अन्य ईट भट्ठों से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ जिलों में 128 ईट भट्ठे स्थापित किए गए थे, जो अन्य भट्ठों से 800 मीटर की दूरी के मानदण्ड का उल्लंघन कर रहे थे, जैसा कि तालिका-4.10 में बताया गया है।

तालिका 4.10
अन्य ईट भट्ठों से दूरी

जिले का नाम	ईट भट्ठों की संख्या
फतेहपुर	29
गौतमबुद्धनगर	2
जे पी नगर	35
कानपुर देहात	1
कौशाम्बी	10
प्रयागराज	15
सहारनपुर	15
संभल	17
सिद्धार्थनगर	4
योग	128



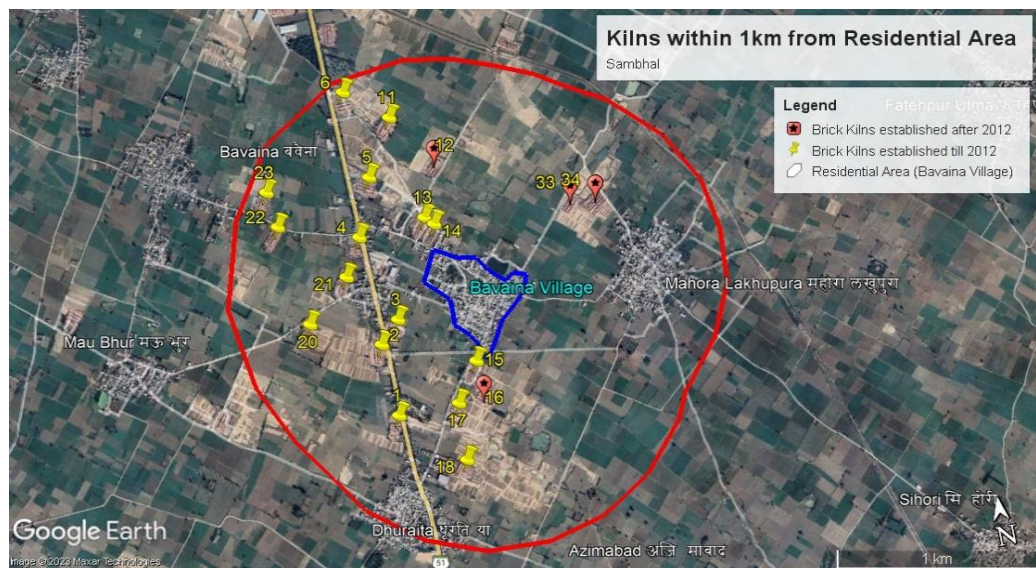
चित्र 4.19: अन्य ईट भट्टों से दूरी (संभल)

4.10.2 आवासीय क्षेत्र से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ जिलों में आवासीय क्षेत्र से 1 किमी की दूरी के मानदण्ड का उल्लंघन करते हुए 256 ईट भट्टे स्थापित किए गए थे जैसा कि तालिका-4.11 में वर्णित है।

तालिका 4.11
आवासीय क्षेत्र से दूरी

जिले का नाम	ईट भट्टों की संख्या
फतेहपुर	65
गौतमबुद्धनगर	4
जे पी नगर	47
कानपुर देहात	3
कौशाम्बी	53
प्रयागराज	16
सहारनपुर	30
संभल	18
सिद्धार्थनगर	20
योग	256



चित्र 4.20 आवासीय क्षेत्र (संभल) से दूरी

4.10.3 राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से दूरी सम्बन्धी मानदण्डों का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात जिलों में 35 ईट भट्टे राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से 300 मीटर के मानदण्ड का उल्लंघन करते हुए स्थापित किए गए थे जैसा कि तालिका-4.12 में वर्णित है।

तालिका 4.12

राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों से दूरी

जिले का नाम	ईट भट्टों की संख्या
फतेहपुर	11
गौतमबुद्धनगर	1
जे पी नगर	8
कौशाम्बी	7
सहारनपुर	2
संभल	2
सिद्धार्थनगर	4
योग	35



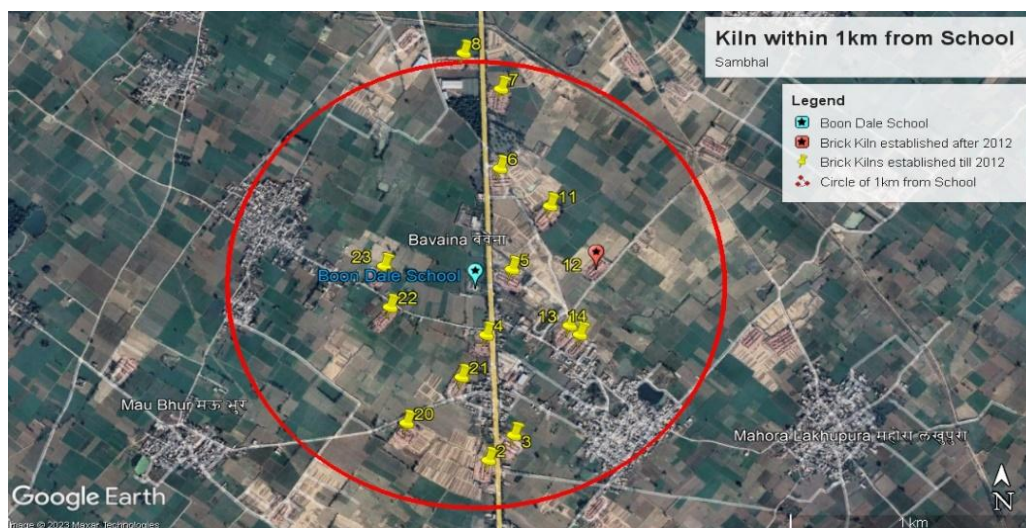
चित्र 4.21 राज्य राजमार्ग से दूरी (संभल)

4.10.4 स्कूल/कालेज से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात जिलों में 162 ईट भट्टे, स्कूलों/कालेजों से 1 किमी की दूरी के मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए स्थापित किए गए थे जैसा कि तालिका-4.13 में वर्णित है।

तालिका 4.13
स्कूल/कालेज से दूरी

जिले का नाम	ईट भट्टों की संख्या
फतेहपुर	52
जे पी नगर	17
कौशाम्बी	40
प्रयागराज	16
सहारनपुर	21
संभल	1
सिद्धार्थनगर	15
योग	162



चित्र 4.22 विद्यालय से दूरी (संभल)

4.10.5 अस्पताल से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि पाँच जिलों में नौ ईट भट्टे, अस्पतालों के पास (1 किमी के अंदर) स्थापित किये गये, जैसा कि तालिका-4.14 में वर्णित है।

तालिका 4.14
अस्पताल से दूरी

जिले का नाम	ईट भट्टों की संख्या
फतेहपुर	1
कौशाम्बी	3
प्रयागराज	2
सहारनपुर	2
सिद्धार्थनगर	1
योग	9



चित्र 4.23 पीएचसी से दूरी (फतेहपुर)

4.10.6 बाग से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

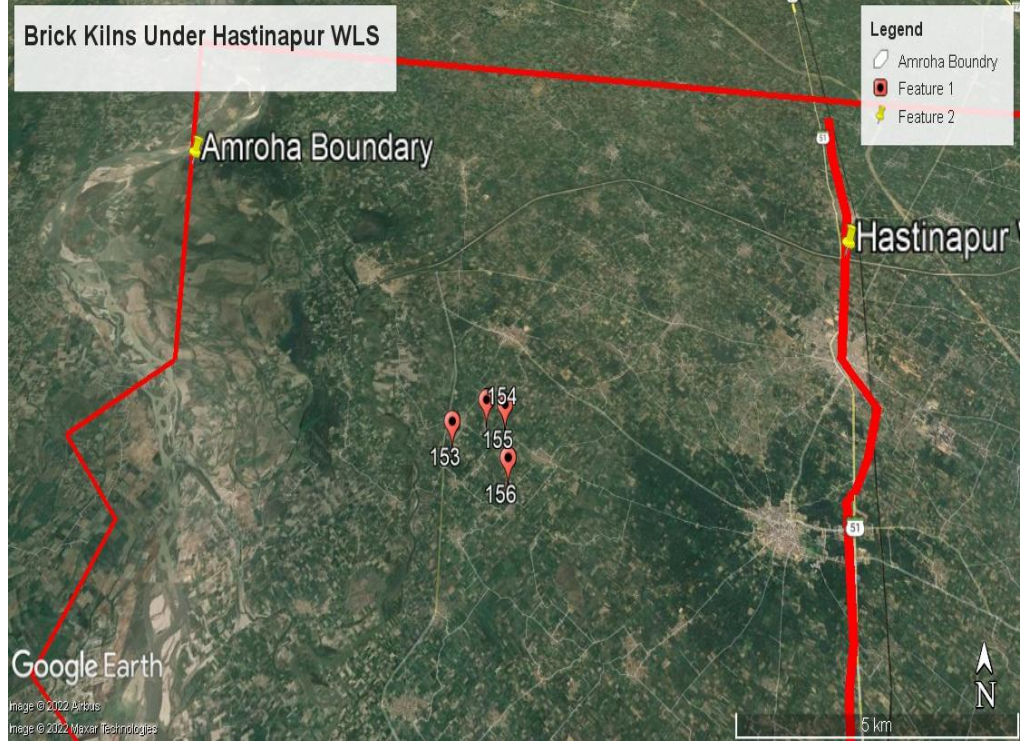
लेखापरीक्षा ने देखा कि कौशाम्बी जिले में एक ईट भट्टा बाग से 800 मीटर की दूरी के मानक का उल्लंघन करते हुए स्थापित किया गया था।



चित्र 4.24 बाग से दूरी (कौशाम्बी)

4.10.7 इको सेंसिटिव जोन (ईएसजेड) से दूरी सम्बन्धी मानदण्ड का उल्लंघन

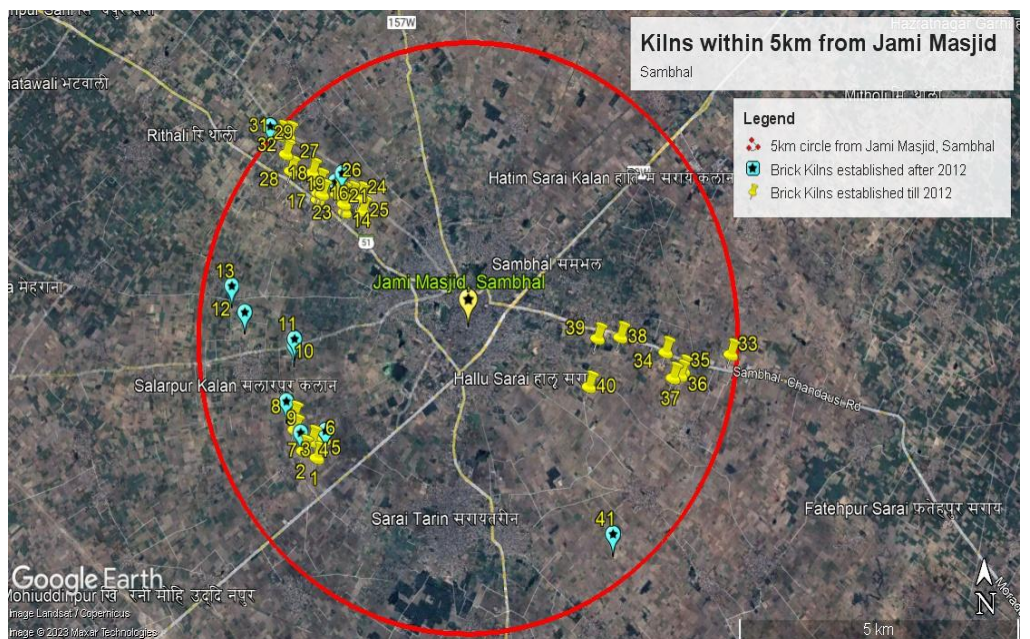
लेखापरीक्षा ने देखा कि जनपद जेपी नगर में एक ईट भट्टा हस्तिनापुर वन्य जीवन अभयारण्य के ईएसजेड से 5 किमी दूरी के मानदण्डों का उल्लंघन करके स्थापित किया गया था।



चित्र 4.25 ईएसजेड से दूरी (जे.पी. नगर)

4.10.8 ऐतिहासिक स्मारकों से दूरी सम्बन्धी मानक का उल्लंघन

लेखापरीक्षा ने देखा कि जनपद संभल में 11 ईट भट्टे ऐतिहासिक स्मारक, जामी मस्जिद⁸⁸ से 5 किमी के अंदर दूरी मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए स्थापित किए गए थे।



चित्र 4.26 ऐतिहासिक स्मारकों से दूरी (संभल)

⁸⁸ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा सर्कल के स्मारकों की वर्णानुक्रमिक सूची की क्रम संख्या 250।

समापन गोष्ठी में सरकार ने कहा कि ईट भट्ठा स्थापित करने से पहले भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से अनुमति या लाइसेंस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग तथा उ०प्र०प्र०नि०बो० के बीच कोई समांजस्य नहीं है। परिणामस्वरूप, दोनों विभागों द्वारा ईट भट्ठों की स्थापना की निगरानी नहीं की जाती है। हालाँकि, उ०प्र०प्र०नि०बो० ने इन मामलों की जाँच करने का आश्वासन दिया और जिला कानपुर देहात की सूचना प्रदान की। एक मामले में उ०प्र०प्र०नि०बो० ने नोटिस जारी किया और कानपुर देहात के शेष मामलों में कहा कि ईट भट्ठे दिशानिर्देश के अनुसार स्थापित किए गए थे। उ०प्र०प्र०नि०बो० का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये ईट भट्ठे दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद स्थापित किए गए थे जिसमें स्थापना नियमों का पालन नहीं किया था जैसा कि गूगल अर्थ इमेजरी में देखा गया है।

संस्तुति 11:

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि मानदण्डों का उल्लंघन कर स्थापित और अवैध रूप से संचालित सभी ईट भट्ठों को बंद कर दिया गया है।

4.11 निष्कर्ष

विभाग ने बोली दर को अनदेखा करके उन पट्टाधारकों से आधार दर पर रायल्टी और खनिज मूल्य वसूल की, जिन्होंने पट्टा क्षेत्र या स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों से अवैध रूप से खनिजों का उत्खनन किया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को संभावित राजस्व से वंचित होना पड़ा।

गूगल अर्थ और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से पट्टा क्षेत्रों के बाहर और खनन पट्टा/परमिट दिये बिना अवैध खनन के मामले देखे गये। ई-ट्रान्जिट पास की निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली में कुशल इनपुट नियन्त्रण तन्त्र का अभाव था। परिणामस्वरूप, ऐसे वाहनों द्वारा खनिजों का परिवहन किया गया जो खनिजों के परिवहन के लिये उपयुक्त नहीं थे, पट्टाधारक निषिद्ध महीनों के दौरान और निर्धारित समय सीमा से परे ई-एमएम-11 प्रपत्र जारी करने में सक्षम थे और इन प्रपत्रों में उल्लिखित दूरी वास्तविक दूरी से अधिक थी। इसके अलावा, यह देखा गया कि पट्टाधारकों ने बालू खनन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया और ईट भट्ठा मालिकों ने ईट भट्ठा स्थापना सम्बन्धी मानदण्डों का पालन नहीं किया, जैसा कि उपग्रह इमेजरी में प्रदर्शित है। यद्यपि राज्य सरकार ने खनन निगरानी प्रणाली का क्रियान्वयन किया परन्तु इसे राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता था।